

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

					(लाख रु.में)
	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
(I)	परिसंपत्तियां				
(1)	गैर चालू परिसंपत्तियां				
	(क) संपत्ति, प्लांट और उपस्कर	2	208.32	255.13	333.02
	(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	3	3.87	13.88	24.35
	(ग) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i) ऋण	4	164.99	152.01	181.24
	(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	423.61	9,836.79	14,847.78
	(घ) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निबल)	6	446.27	506.34	355.99
	(ड.) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	7	121.73	74.66	50.33
	कुल गैर चालू परिसंपत्तियां		1,368.78	10,838.83	15,792.71
(2)	चालू परिसंपत्तियां				
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां				
	(i) निवेश	8	4.29	1.61	7.93
	(ii) व्याप्रावधानरिक प्राप्तियां	9	2,964.59	786.36	414.57
	(iii) नकदी और नकदी समतुल्य	10	3,455.37	3,889.58	3,360.31
	(iv) नकदी और नकदी समतुल्य से इतर बैंक में जमा राशियां	11	2,675.40	6,188.47	8,074.23
	(v) ऋण	4	442.71	300.40	285.23
	(vi) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	1,176.33	774.52	248.92
	(ख) आयकर परिसंपत्तियां (निबल)	12	413.48	196.99	276.39
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां	13	179.35	231.64	350.34
	कुल चालू परिसंपत्तियां		11,311.51	12,369.57	13,017.91
	कुल परिसंपत्तियां		12,680.29	23,208.40	28,810.62
(II)	इक्विटी और देयताएं				

(1)	इक्विटी				
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	14	5.22	5.22	5.22
	(ख) अन्य इक्विटी	15	9,168.51	19,826.61	25,313.43
	कुल इक्विटी		9,173.73	19,831.84	25,318.66
(2)	देयताएं				
(क)	गैर-चालू देयताएं				
	(क) अन्य गैर-चालू देयताएं	16	59.89	38.19	16.49
	कुल गैर-चालू देयताएं		59.89	38.19	16.49
(ख)	चालू देयताएं				
	(क) वित्तीय देयताएं				
	(i) व्याप्रावधानरिक्त देय राशियां	17			
	(क) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशियां; और		-	-	0.21
	(ख) सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से इतर अन्य क्रेडिटर्स की कुल बकाया देय राशियां		762.13	355.87	299.89
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	18	2,036.22	1,767.96	2,846.81
	(ख) अन्य चालू देयताएं	19	390.23	679.08	144.98
	(ग) प्रावधान	20	258.09	535.47	183.58
	कुल चालू देयताएं		3,446.67	3,338.37	3,475.47
	कुल इक्विटी और देयताएं		12,680.29	23,208.40	28,810.62
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट की क्र. सं. 1 से 43 देखें।					
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से					
	(मनीष कुमार अग्रवाल) कंपनी सचिव सदस्यता संख्या एफ5048	(योगेश जुनेजा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(एन. बी. गुप्ता) निदेशक (डीआईएन 00530741)	(राजीव शर्मा) अध्यक्ष (डीआईएन 00973413)	
	हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार				
	खन्ना और अन्नाधनम के लिए				
	चार्टर्ड अकाउंटेंट				
	(फर्म पंजीकरण संख्या : 001297एन)				

	(संजीव श्रीवास्तव)				
	भागीदार				
	सदस्यता संख्या. 502238				
	स्थान : नई दिल्ली				
	तारीख: -				

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ और हानि विवरण

(लाख रुपए में)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
	आय			
I.	प्रचालन से राजस्व	21	5,757.28	6,045.19
II.	अन्य आय	22	1,260.12	1,928.04
III.	कुल आय (I+II)		7,017.40	7,973.23
	व्यय			
IV.	परामर्श सेवा व्यय	23	1,033.06	657.33
	कर्मचारी लाभ व्यय	24	1,193.97	1,347.90
	मूल्यहास और ऋणमोचन व्यय	25	106.14	134.20
	अन्य व्यय	26	1,518.81	1,517.59
	कुल व्यय (IV)		3,851.99	3,657.02
V.	असोसिएट के लाभ/ (हानि) की हिस्सेदारी से पहले लाभ		3,165.41	4,316.21
VI.	इक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए गणना की गई असोसिएट के लाभ / (हानि) की हिस्सेदारी		(0.51)	0.39
VII.	कर पूर्व लाभ(V+VI)		3,164.90	4,316.60
VIII.	कर व्यय:	29		
	चालू कर		974.48	1,763.23
	पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयकर समायोजन		(68.85)	14.66
	आस्थगित कर		60.08	(150.36)
	कुल कर व्यय (VIII)		965.71	1,627.53
IX.	वर्ष के लिए लाभ (VII-VIII)		2,199.19	2,689.07
X.	अन्य वृहद आय			-

XI.	वर्ष के लिए कुल वृद्ध आय (IX+X)		-	2,689.07
	प्रति इक्विटी शेयर अर्जन - रुपए में : (प्रत्येक रुपए 10/- के अंकित मूल्य वाले)	27		
	आधारभूत		4,209.30	5,146.95
	तनुकृत		4,209.30	5,146.95
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट की क्र. सं. 1 से 43 देखें।				
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से				
	(मनीष कुमार अग्रवाल) कंपनी सचिव सदस्यता संख्या एफ5048	(योगेश जुनेजा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(एन. बी. गुप्ता) निदेशक (डीआईएन 00530741)	(राजीव शर्मा) अध्यक्ष (डीआईएन 00973413)
	हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार			
	खन्ना और अन्नाधनम के लिए			
	चार्टर्ड अकाउंटेंट			
	(फर्म पंजीकरण संख्या : 001297एन)			
	(संजीव श्रीवास्तव)			
	भागीदार			
	सदस्यता संख्या. 502238			
	स्थान : नई दिल्ली			
	तारीख: -			

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

A. इक्विटी शेयर पूंजी (लाख रुपए में)

विवरण	राशि
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	5.00
पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ व्यापार आमेलन का प्रभाव*	0.22
आमेलन के पश्चात 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	5.22
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	5.22
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	5.22

*वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसी सीएस) का कंपनी के साथ आमेलन किए जाने के फलस्वरूप पीएफसीसीएस के शेयरधारकों को 2246 शेयर (प्रत्येक रु. 10 के) जारी किए गए। 1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार अथशेष तुलनपत्र और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का पुनः उल्लेख किया गया है। इसमें आमेलन के प्रभाव को विधिवत रूप से ध्यान में रखा गया है (नोट संख्या 30 देखें)

(लाख रुपए में)

B. अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित और अधिशेष निधियां		कुल
	पूंजी आरक्षित निधि	रखा गया अर्जन	
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	9.78	25,303.66	25,313.43
वर्ष के लिए कुल वृहद आय	-	2,689.07	2,689.07
वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान	-	(1,793.00)	(1,793.00)
वर्ष 2016-17 के लिए अंतिम लाभांश पर कर	-	(365.01)	(365.01)
वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान	-	(5,000.00)	(5,000.00)
वर्ष 2017-18 के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	-	(1,017.88)	(1,017.88)

31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	9.78	19,816.84	19,826.61
वर्ष के लिए कुल वृहद आय	-	2,199.19	2,199.19
वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान*	-	(665.00)	(665.00)
वर्ष 2017-18 के लिए अंतिम लाभांश पर कर*	-	(136.69)	(136.69)
वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम लाभांश का भुगतान	-	(10,000.00)	(10,000.00)
वर्ष 2018-19 के लिए अंतरिम लाभांश पर कर	-	(2,055.60)	(2,055.60)
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	9.78	9,158.73	9,168.51
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट की क्र. सं. 1 से 43 देखें।			
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से			
(मनीष कुमार अग्रवाल) कंपनी सचिव सदस्यता संख्या एफ5048	(योगेश जुनेजा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(एन. बी. गुप्ता) निदेशक (डीआईएन 00530741)	(राजीव शर्मा) अध्यक्ष (डीआईएन 00973413)
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार			
खन्ना और अन्नाधनम के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट			
(फर्म पंजीकरण संख्या : 001297एन)			
(संजीव श्रीवास्तव) भागीदार सदस्यता संख्या. 502238			
स्थान : नई दिल्ली			
तारीख: -			

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

			(लाख रुपए में)
	विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
क.	प्रचालन संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
	कर पूर्व लाभ	3,164.90	4,316.60
	के लिए समायोजन :		
	मूल्यहास और ऋणमोचन	106.14	134.20
	ब्याज आय	(1,110.97)	(1,687.92)
	संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	287.02	555.38
	निवेश के मूल्य में हास के लिए प्रावधान	0.81	4.71
	जांच लंबित होने के कारण परिसंपत्तियों की हानि के लिए प्रावधान	-	1.00
	कर्मचारियों के ऋणों पर छूट को खत्म करना (अनवाइंडिंग)	(20.39)	(19.00)
	सुरक्षा जमा राशि पर छूट को खत्म करना (अनवाइंडिंग)	(6.80)	(6.24)
	परिसंपत्तियों की बिक्री / अंतरण / पुनः खरीद पर लाभ	(0.10)	-
	बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	4.52	0.27
	व्यय के लिए वापस बट्टे खाते में डाला गया प्रावधान	(9.10)	(8.92)
	संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए वापस बट्टे खाते में डाला गया प्रावधान	(112.63)	(205.62)
	असोसिएट के लाभ / हानि की हिस्सेदारी	0.51	(0.39)
	कार्यकारी पूंजी परिवर्तित होने से पहले प्रचालन लाभ	2,303.91	3,084.07
	कार्यकारी पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजन :		
	- व्यापारिक देय राशियों में वृद्धि / (कमी)	415.36	64.69
	- अन्य गैर चालू वित्तीय देयताओं में वृद्धि / (कमी)	268.26	(1,078.85)
	- चालू प्रावधानों में वृद्धि / (कमी)	(277.37)	351.89
	- अन्य चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	(288.85)	534.09
	- अन्य गैर चालू देयताओं में वृद्धि / (कमी)	21.70	21.70
	- व्यापारिक प्राप्तियों में वृद्धि / (कमी)	(2,065.60)	(166.18)
	- गैर चालू ऋणों में (वृद्धि) / कमी	(12.98)	29.23
	- चालू ऋणों में (वृद्धि) / कमी	(429.33)	(570.55)
	- अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(401.81)	(525.60)
	- अन्य चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	52.30	118.70
	- अन्य गैर चालू परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	(19.88)	0.91
	प्रचालन संबंधी गतिविधियों से सृजित / (में प्रयुक्त) नकदी	(434.29)	1,864.10

	भुगतान किए गए आयकर निबल)	(1,122.13)	(1,698.48)
	प्रचालन संबंधी गतिविधियों से सृजित / (में प्रयुक्त) निबल नकदी	(1,556.42)	165.61
ख.	निवेश संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह:		
	संपत्ति, प्लांट और उपस्कर की खरीद के लिए भुगतान	(60.51)	(54.29)
	अमूर्त परिसंपत्तियों की खरीद के लिए भुगतान	(0.47)	-
	अन्य गैर चालू वित्तीय परिसंपत्तियों में (वृद्धि) / कमी	9,413.18	5,010.99
	अन्य बैंक बकाया राशियों में (वृद्धि) / कमी	3,513.08	1,885.75
	संपत्ति, प्लांट और उपस्कर की बिक्री से आय	7.25	7.17
	वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री/ (खरीद)	(4.00)	2.00
	प्राप्त ब्याज	1,110.97	1,687.92
	निवेश संबंधी गतिविधियों से सृजित / (में प्रयुक्त) निबल नकदी	13,979.50	8,539.55
ग.	वित्तपोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह :		
	भुगतान किया गया लाभांश	(10,665.00)	(6,793.00)
	भुगतान किया गया निगमित लाभांश कर	(2,192.29)	(1,382.90)
	वित्त पोषण गतिविधियों से सृजित / (में प्रयुक्त) निबल नकदी	(12,857.29)	(8,175.90)
	नकदी और नकदी समतुल्य में निबल वृद्धि/ (कमी) (क+ख+ग)	(434.21)	529.27
	वर्ष के प्रारंभ में नकदी और नकदी समतुल्य	3,889.58	3,360.31
	वर्ष के अंत में नकदी और नकदी समतुल्य (नोट 10 देखें)	3,455.37	3,889.58
	नकदी और नकदी समतुल्य राशियों में निम्नलिखित शामिल है :		
	बैंकों में जमा राशियां		
	- चालू खातों में	1,732.80	1,962.58
	- 3 माह तक की मूल परिपक्वता अवधि वाले जमा खातों में	1,722.57	1,927.00
		3,455.37	3,889.58
समेकित वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न नोट की क्र. सं. 1 से 43 देखें।			
निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से			
(मनीष कुमार अग्रवाल) कंपनी सचिव सदस्यता संख्या एफ5048	(योगेश जुनेजा) मुख्य कार्यकारी अधिकारी	(एन. बी. गुप्ता) निदेशक (डीआईएन 00530741)	(राजीव शर्मा) अध्यक्ष (डीआईएन 00973413)
हमारी संलग्न समदिनांकित रिपोर्ट			

के अनुसार				
खन्ना और अन्नाधनम के लिए				
चार्टर्ड अकाउंटेंट				
(फर्म पंजीकरण संख्या : 001297एन)				
(संजीव श्रीवास्तव)				
भागीदार				
सदस्यता संख्या. 502238				
स्थान : नई दिल्ली				
तारीख: -				

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड
(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)
(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

1. निगमित सूचना और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

i) निगमित सूचना

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (“कंपनी” अथवा पीएफसीसीएल) कंपनी एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जिसकी स्थापना कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत 25 मार्च 2008 को की गई, यह भारत में अवस्थित है और शेयरों के आधार पर एक लिमिटेड कंपनी है (सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858) है। कंपनी का पंजीकृत कार्यालय प्रथम तल, ऊर्जानिधि भवन, 1, बाराखंभा लेन, कनाट प्लेस, नई दिल्ली- 110001 में है।

यह कंपनी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एक सूचीबद्ध कंपनी), जिसकी अधिकांश शेयरधारिता भारत सरकार द्वारा अपने पास रखी गई है), के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी है। यह कंपनी स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) से संबंधित भारत सरकार (जीओआई) की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते विद्युत क्षेत्र को परामर्श सेवाएं प्रदान करती है और पीएफसी ने अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं के विकास के लिए नोडल एजेंसी होने के नाते यूएमपीपी से संबंधित सभी कार्य पीएफसीसीएल को सौंप दिए हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी और इसके सहयोगियों (असोसिएट्स) (जिन्हें सामूहिक रूप से “समूह” के रूप में संदर्भित किया गया है), के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

1.2 अनुपालन का विवरण और तैयारी तथा प्रस्तुतीकरण का आधार

- i) समूह ने दिनांक 01.04. 2018 से यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों (जिन्हें “इंड एस” के रूप में संदर्भित किया गया) को अपनाया है। ये समेकित वित्तीय विवरण समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित “इंड एस”, कंपनी अधिनियम 2013 के यथालागू प्रावधानों और अन्य लागू नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करते हैं। ये समूह के भारतीय लेखांकन मानक (एस) के आधार पर पहले समेकित वित्तीय विवरण हैं। भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन की तारीख 1 अप्रैल 2017 है।

जब तक कि इस बात का कोई वस्तुनिष्ठ साक्ष्य नहीं होता है कि उन अनुमानों में कोई त्रुटि है, तब तक इंड-एस का अनुपालन शुरू करने की तारीख को इंड एस के अनुसार किसी निकाय के अनुमान पूर्ववर्ती जीएपी के अनुसार लगाए गए अनुमानों (लेखांकन नीतियों में किसी परिवर्तन को दर्शाने के लिए समायोजनों के पश्चात) के अनुरूप होते हैं।

- ii) ये समेकित वित्तीय विवरण दिनांक 17 जून 2019 को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए गए।
- iii) जारी किए गए परंतु अभी तक अप्रभावी मानक कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली 2019 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) द्वितीय संशोधन नियमावली के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक (इंड एस) में नए संशोधन अधिसूचित किए हैं, जिन्हें समूह द्वारा लागू नहीं किया गया है क्योंकि वे 01 अप्रैल 2019 से प्रभावी हैं :

क) इंड एस 116 - पट्टे:

इंड एस 116 इंड एस 17 और संबंधित व्याख्याओं को प्रतिस्थापित करेगा। इस मानक में पट्टों की मान्यता, मापन, प्रस्तुतीकरण और प्रकटन के लिए सिद्धांत बताए गए हैं। इंड एस 116 एकल पट्टाधारक लेखांकन मॉडल लागू करता है और इसके तहत जब तक कि संबंधित परिसंपत्ति निम्न मूल्य की नहीं है, तब तक किसी पट्टाधारक को सभी पट्टों के लिए परिसंपत्तियों और देयताओं को 12 माह से अधिक की अवधि के लिए मान्यता देना आवश्यक है। इस मानक में पट्टाधारकों के लिए भी तुलनात्मक रूप से अधिक प्रकटन आवश्यकताएं निहित हैं। समूह वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

ख) एस 12- आयकर में संशोधन :

संशोधन में यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी निकाय लाभार्थों के आयकर संबंधी परिणामों को लाभ अथवा हानि, अन्य वृद्ध आय अथवा इक्विटी में तदनुसार वहां मान्यता देगा जहां निकाय ने उन पिछले लेन देनों अथवा घटनाओं को मूल रूप से मान्यता दी थी। समूह वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

ग) इंड एस-12- परिशिष्ट ग, आयकर मान्यता के संबंध में अनिश्चितता :

इंड एस-12- परिशिष्ट ग, आयकर मान्यता के संबंध में अनिश्चितता, जो कर योग्य लाभ (अथवा हानि), कर आधारों, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों का निर्धारण करते समय लागू किया जाता है, जब इंड एस 12 के अंतर्गत आयकर मान्यता के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति होती है। परिशिष्ट के अनुसार कंपनियों को प्रत्येक कर मान्यता को स्वीकार करने वाले संगत कर प्राधिकारी की संभावना अथवा कर मान्यता समूह के निर्धारण की आवश्यकता होती है, जिसे कंपनियों ने अपनी आयकर विवरणी फाईल करने में प्रयोग किया है अथवा प्रयोग करने की योजना बनाई है, जिस पर कर योग्य लाभ (कर हानि, कर आधार, अप्रयुक्त कर हानियों, अप्रयुक्त कर क्रेडिटों और कर दरों का निर्धारण करते समय कर मान्यता के संभावित मूल्य अथवा सर्वाधिक संभाव्य राशि की गणना के लिए विचार किया जाए। समूह वित्तीय विवरणों में उपर्युक्त के प्रभाव का मूल्यांकन कर रहा है।

1.3 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू की गई महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां नीचे दिए अनुसार हैं :

i) तैयारी और मापन का आधार

समूह के ये समेकित वित्तीय विवरण गणना की संचयी प्रणाली का अनुपालन करते हुए जारी प्रतिष्ठान आधार पर तैयार किए गए हैं। परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में ऐतिहासिक लागत पर अथवा ऋणमोचन लागत पर अथवा उचित मूल्य पर किया गया है। सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को समूह के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रभाग II में यथार्थधारित अन्य मानदंडों के अनुसार चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह वर्गीकरण सेवाओं की प्रकृति और संसाधन के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण तथा नकदी और नकदी समतुल्य के रूप में उनकी वसूली के बीच लगने वाले

समय के आधार पर किया जाता है। समूह ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू अथवा गैर चालू के रूप में वर्गीकरण के प्रयोजन से 12 माह का प्रचालन चक्र निर्धारित किया है। प्रति शेयर डाटा और अन्यथा किए गए उल्लेख को छोड़कर वित्तीय विवरणों में राशि लाख रुपए (दशमलव के बाद दो अंक तक) में दर्शाई जाती हैं।

ii) अनुमानों का प्रयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को लेखांकन नीतियों को लागू करने में ऐसे निर्णय लेना, अनुमान और पूर्वानुमान लगाना आवश्यक होता है, जो रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिसंपत्तियों, देयताओं, राजस्व और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों और पूर्वानुमानों से अलग हो सकते हैं। भावी घटनाओं की संभावना, जिसे औचित्यपूर्ण माना जाता है, सहित ऐतिहासिक अनुभव और अन्य घटकों के आधार पर अनुमान और निर्णयों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों को उत्तरव्यापी प्रभाव से मान्यता दी जाती है।

वित्तीय विवरणों की तारीख को अनिश्चितता के अनुमान का मुख्य स्रोत, जिसके फलस्वरूप अगले वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की आगे लाई गई राशियों में बड़ा समायोजन करना पड़ सकता है, वह व्यापारिक प्राप्तियों और कराधान के लिए प्रावधानों के मूल्यांकन के संदर्भ में होता है।

iii) राजस्व मान्यता

- (i) विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार शुरू की गई स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) और अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के विकास के संबंध में परामर्श सेवाओं से प्राप्त राजस्व को पूर्ण की गई संविदा पद्धति के आधार पर मान्यता दी जाती है अर्थात् जब परियोजना के लिए सृजित की गई आईटीपी / यूएमपीपी को किसी सफल बोलीकर्ता को हस्तांतरित कर दिया जाता है और शेयर खरीद करार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इन परियोजनाओं के विकास पर किए गए खर्च, जिनकी वसूली प्रत्यक्ष लागतों के रूप में नहीं की जाती है, की वसूली मूल कंपनी द्वारा यथा निर्धारित स्वीकृत प्रभार दरों पर बिलिंग के माध्यम से की जाती है।
- (ii) प्रदान की गई अन्य परामर्श सेवाओं से आय को मान्यता रिपोर्टिंग की तारीख को संविदा के पूर्ण होने की स्थिति के संदर्भ में करारों / व्यवस्थाओं की शर्तों के आधार पर दी जाती है।
- (iii) ब्याज से होने वाली आय को मान्यता बकाया राशि तथा लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात आधार पर दी जाती है। ऋणमोचन लागत पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों से होने वाली ब्याज आय को मान्यता प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का प्रयोग कर दी जाती है। प्रभावी ब्याज दर वह दर होती है, जो वित्तीय परिसंपत्ति के संभावित जीवन काल के माध्यम से अनुमानित भावी नगद प्राप्तियों में सही-सही छूट के साथ निर्धारित की जाती है, जो परिसंपत्ति की आरंभिक मान्यता के समय निहित राशि के लिए लागू होती है।
- (iv) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को मान्यता संगत संविदा की शर्तों के अनुसार संचयी आधार पर दी जाती है।
- (v) स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) और अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट (यूएमपीपी) के लिए अर्हता हेतु अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को मान्यता तब दी जाती है, जब वह प्राप्त होती है।

- (vi) विद्युत की अल्पकालिक / मध्यावधि बोली प्रक्रिया, प्रायोगिक योजना और कोयला सहूलियत योजना से होने वाली आय को मान्यता तब दी जाती है जब अधिनिर्णय का पत्र (एलओए) सफल बोलीदाता को जारी कर दिया जाता है।
- (vii) अन्य आय और व्यय की गणना संगत संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार संचयी आधार पर की जाती है।
- (viii) यदि पहले भुगतान की गई राशि एक लाख रुपए से कम है, तो पहले भुगतान किए गए व्ययों की गणना नहीं की जाती है।

iv) संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) और मूल्यहास

- i. पीपीई की मदों को आरंभ में कीमत आधार पर मान्यता दी जाती है। तत्पश्चात मापन संचित मूल्यहास और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हैं, को घटाकर किया जाता है। पीपीई की कोई मद जो सक्रिय रूप से इस्तेमाल नहीं की जा रही है और निपटान के लिए उसे रखा गया है, को बही मूल्य अथवा निबल वसूल किए जाने योग्य मूल्य की तुलना में कम मूल्य पर दर्शाया जाता है।
- ii. मूल्यहास को मान्यता दी जाती है ताकि परिसंपत्तियों की लागत को अनुमानित उपयोगिता जीवनकाल के आधार पर रिटेन डाउन वैल्यू मेथड के अनुसार उनके अवशिष्ट मूल्यों को घटाकर बट्टे खाते में डाला जा सके जो सेल फोन जहां उपयोगिता जीवन काल का अनुमान समूह द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार 5 वर्ष के बजाय 2 वर्ष के रूप में लगाया गया है, को छोड़कर कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में यथाविहित किए अनुसार हैं। अवशिष्ट मूल्य का अनुमान पीपीई की मूल्य लागत के 5% के बराबर लगाया जाता है। समूह प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति, प्लांट और उपस्कर के अनुमानित उपयोगिता जीवनकाल, अवशिष्ट मूल्य और मूल्यहास पद्धति की समीक्षा करता है और यदि बाद में किसी प्रकार की संभावित गणना की जाती है, तो तदनुसार अनुमानों में परिवर्तन करता है।
- iii. वर्ष के दौरान पीपीई में वृद्धि / कटौतियों पर मूल्यहास उस तारीख से / तक प्रो रेटा आधार पर प्रभारित किया जाता है, जब परिसंपत्ति प्रयोग / निपटान के लिए उपलब्ध होती है।
- iv. पीपीई की किसी मद को मान्यता तब नहीं दी जाती है, जब उसका निपटान कर दिया जाता है अथवा परिसंपत्ति के सतत इस्तेमाल से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होती है। पीपीई की किसी मद को मान्यता न दिए जाने पर होने वाले लाभ अथवा हानि का निर्धारण उसके निपटान से प्राप्त होने वाली आय और परिसंपत्ति की वर्तमान कीमत के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ तथा हानि विवरण में मान्यता दी जाएगी।
- v. पट्टे पर ली गई परिसरों के सुधार कार्य में किए गए व्यय को मान्यता लागत आधार पर दी जाती है और उसे संपत्ति, प्लांट और उपस्कर शीर्ष के अंतर्गत "पट्टाधारक सुधारों" के रूप में दर्शाया जाता है। इन पट्टाधारक सुधारों का ऋणमोचन पट्टे की अवधि अथवा उनके उपयोगिता जीवन काल, जो भी कम हो, के समाप्त होने पर सीधी लाईन पद्धति आधार पर किया जाता है।

v) अमूर्त परिसंपत्तियां

- i. निश्चित उपयोगिता जीवन काल वाली परिसंपत्तियां जो अलग से अधिग्रहीत की जाती हैं, को लागत आधार पर मान्यता दी जाती है। इनकी लागत में इनके अपेक्षित इस्तेमाल के लिए परिसंपत्ति को तैयार करने हेतु प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक कोई भी अनुषंगी व्यय शामिल होता है। तत्पश्चात मापन संचित ऋणमोचन और संचित क्षति हानियों, यदि कोई हैं को घटाकर लागत आधार पर किया जाता है। ऋणमोचन को मान्यता परिसंपत्तियों के उपयोगिता जीवनकाल में सीधी लाईन पद्धति आधार पर दी जाती है।
- ii. समूह द्वारा निश्चित उपयोगिता जीवन काल वाली परिसंपत्तियों के उपयोगिता जीवन काल का अनुमान 36

माह के रूप में लगाया गया है।

- iii. किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता तब नहीं दी जाती है, जब उसका निपटान कर दिया जाता है अथवा परिसंपत्ति के इस्तेमाल अथवा निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की उम्मीद नहीं होती है। किसी भी अमूर्त परिसंपत्ति को मान्यता न दिए जाने पर होने वाले लाभ अथवा हानि का मापन उसके निपटान से प्राप्त होने वाली आय और परिसंपत्ति की वर्तमान कीमत के बीच अंतर के रूप में किया जाता है और उसे लाभ तथा हानि विवरण में तब मान्यता दी जाती है, जब परिसंपत्ति अमान्य हो जाती है।

vi) समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण और एसोसिएट्स में इसके निवेश शामिल होते हैं और उनकी गणना इक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की जाती है।

समेकन के प्रयोजन से एसोसिएट्स के वित्तीय विवरण समूह के अनुसार उसी रिपोर्टिंग तारीख को तैयार किए जाते हैं।

कोई एसोसिएट ऐसा निकाय होता है, जिस पर मूल कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। महत्वपूर्ण प्रभाव ऐसी शक्ति होती है, जो निवेशी के वित्तीय और प्रचालन संबंधी नीतिगत निर्णयों में भागीदारी का अधिकार प्रदान करती है, परंतु उन नीतियों पर उसका कोई नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण नहीं होता है।

जब कभी भी निवेश अथवा उसके किसी भाग को बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जिस मामले में इसका मापन उनकी वर्तमान राशि और बिक्री के लिए लागत को घटाकर उचित मूल्य की तुलना में कम मापा जाता है, तो छोड़कर लेखांकन की इक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए इन वित्तीय विवरणों में एसोसिएट्स का समेकन किया गया है। इक्विटी पद्धति के अंतर्गत किसी एसोसिएट में किए गए निवेश को आरंभिक मान्यता समेकित तुलनपत्र में लागत आधार पर दी जाती है और तत्पश्चात उनका समायोजन किया जाता है, जिससे कि एसोसिएट के लाभ अथवा हानि अन्य वृहद आय में समूह की हिस्सेदारी को मान्यता दी जा सके। किसी एसोसिएट से प्राप्त वितरण निवेश की वर्तमान राशि को घटा देते हैं।

लेखांकन की इक्विटी पद्धति को लागू करने के पश्चात समूह यह निर्धारित करता है कि क्या किसी एसोसिएट में निबल निवेश को आरंभिक मान्यता दिए जाने के पश्चात घटित होने वाली किसी एक अथवा अधिक घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई क्षति हुई है और निबल निवेश, जिसका विश्वसनीय ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है, से अनुमानित भावी नकदी प्रवाह पर उस घटना (अथवा घटनाओं) का कोई प्रभाव पड़ सकता है। यदि वहां क्षति की ऐसी कोई घटना सामने आती है, तो समूह क्षति से होने वाली हानि को मान्यता संगत परिसंपत्ति की वसूल किए जाने योग्य राशि की तुलना में इसकी वर्तमान राशि से अधिक राशि के समतुल्य राशि के रूप में करता है। वसूली योग्य मूल्य संगत परिसंपत्ति की बिक्री लागत को घटकार उसका उचित मूल्य होता है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समूह के पास उसके पूर्ण स्वामित्व वाली 11 सहायक कंपनियां हैं, जो विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के रूप में स्वतंत्र पारिषद परियोजनाओं के लिए गठित और पंजीकृत की गई हैं। समेकन के प्रयोजन से इन सहायक कंपनियों को "एसोसिएट्स" के रूप में माना गया है। यद्यपि भारतीय लेखांकन मानक 110 के पैरा 4 और भारतीय लेखांकन मानक 28 के पैरा 17 के अंतर्गत पीएफसीसीएल को समेकित वित्तीय विवरण और नकदी प्रवाह विवरण तैयार / प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी ने 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने का निर्णय लिया है।

आईटीपी / एसपीवी, यद्यपि कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां हैं, जिन्हें

इक्विटी पद्धति का इस्तेमाल करते हुए 'एसोसिएट्स' के रूप में समेकित किया गया है और समान लेन-देन के लिए एक समान लेखांकन नीतियों को लागू किया गया है।

'इक्विटी पद्धति' के आधार पर समेकित किए गए 11 एसोसिएट्स के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	कंपनी का नाम
1	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
2	बल्लभगढ़ - जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
3	मोहिंदरगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
4	साउथ - सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड
5	बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड
6	शांगटांग करचम-वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड
7	वापी -II लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	बीकानेर- खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड
10	फतेहगढ़- II ट्रांसको लिमिटेड
11	लकाडिया- बड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड*

* आईटीपी- लगाडिया-बड़ोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड की स्थापना 15 मार्च 2019 को की गई और पीएफसीसीएल ने इस कंपनी के 100% इक्विटी शेयर सब्सक्राइव किए हैं। तथापि शेयरों का आवंटन पीएफसीसीएल को अप्रैल 2019 में किया गया, अतः इसे निवेश अनुसूची में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

31 मार्च 2019, 31 मार्च 2018 और 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार सभी एसोसिएट्स की शेयर पूंजी मूल कंपनी द्वारा अपने पास रखी गई।

vii) नकदी और नकदी समतुल्य

नकदी में हाथ में मौजूद नकदी और मांग जमा राशियों में शामिल होती हैं। समूह नकदी समतुल्य के रूप में सभी अल्पकालिक बकाया राशियों (अधिग्रहण की तारीख से तीन माह अथवा उससे कम अवधि की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश, जो नकदी की ज्ञात राशियों के रूप में तैयार स्थिति में परिवर्तन योग्य हैं और जिनका मूल्य परिवर्तित होने का जोखिम न के बराबर होता है, विचार करता है।

viii) आयकर

आयकर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल होता है। इसे ऐसी स्थिति जब यह किसी ऐसी मद से संबंधित होता है, जिसे अन्य वृहद आय (ओसीआई) अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है, को छोड़कर लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, जिसके मामले में कर को भी ओसीआई अथवा प्रत्यक्ष रूप से इक्विटी में मान्यता दी जाती है।

(i) चालू कर

चालू कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय संभावित कर होता है, जिसकी कटौती रिपोर्टिंग की तारीख को अधिनियमित कर दरों अथवा व्यापक रूप से अधिनियमित और यथा लागू दर से की जाती है और पूर्ववर्ती वर्षों के संदर्भ में देय कर के लिए कोई समायोजन किया जाता है। चालू कर संपत्तियां और देयताएं उस समय समाप्त हो जाती हैं, जब मान्यता दी गई राशियों को समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्ति और देयता को निबल आधार पर समाप्त करने का इरादा होता है।

(ii) **आस्थगित कर**

आस्थगित कर को मान्यता वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देयताओं की वर्तमान राशियों के बीच अस्थायी अंतर और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधार के रूप में दी जाती है। आस्थगित कर का मापन ऐसे कानूनों पर आधारित कर दर से किया जाता है, जो रिपोर्टिंग की तारीख तक अधिनियमित या व्यापक रूप से अधिनियमित किए गए हैं, परिसंपत्तियों / देयताओं की वर्तमान राशि की वसूली अथवा निराकरण के अपेक्षित ढंग पर भी आधारित होते हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को उस समय समाप्त किया जाता है, जब चालू कर परिसंपत्तियों को देयताओं के विरुद्ध समाप्त करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय कोई अधिकार प्राप्त होता है और वे उसी कर प्राधिकारी द्वारा वसूल किए गए आयकरों से संबंधित होते हैं।

किसी आस्थगित कर देयता को मान्यता सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए दी जाती है। किसी आस्थगित कर परिसंपत्ति को मान्यता सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए उस सीमा तक दी जाती है, जिस तक इसकी संभावना होती है कि भावी कर योग्य लाभ उपलब्ध होंगे, जिसे विरुद्ध कटौती योग्य अस्थायी अंतर का सदुपयोग किया जा सकता है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को की जाती है और उन्हें उस सीमा तक घटाया जाता है, जिस तक उनके लंबे समय तक बने रहने की संभावना नहीं होती है और इस बात की संभावना होती है कि संबंधित कर लाभ प्राप्त कर लिया जाएगा।

- (iii) अतिरिक्त आयकर, जो लाभांश के वितरण से उत्पन्न होता है, को उसी समय मान्यता दी जाती है, जब लाभांश का भुगतान करने के लिए देयता को मान्यता दी जाती है।

ix) **कर्मचारी हितलाभ**

(i) **छुट्टी संराशिकरण, भविष्य निधि, पेंशन हितलाभ, ग्रैच्युटी और अन्य सेवानिवृत्ति पश्चात लाभ**

कंपनी के कर्मचारी धारक कंपनी (अर्थात पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) और एनटीपीसी लिमिटेड के कर्मचारी हैं और कंपनी में प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत हैं। कर्मचारी हितलाभों में भविष्य निधि, पेंशन, ग्रैच्युटी, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाएं, छुट्टी नकदीकरण, दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार, आर्थिक पुनर्वास योजना और अन्य सीमांत लाभ शामिल हैं। धारक कंपनी और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ की गई व्यवस्थाओं के संदर्भ में कंपनी को कंपनी में दी गई सेवा अवधि के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ते की एकीकृत राशि के एक निर्धारित प्रतिशत से अंशदान करने की आवश्यकता है। तदनुसार इन कर्मचारी हितलाभों को परिभाषित अंशदान योजनाओं के रूप में माना जाता है।

(ii) **अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ**

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ जैसे कि वेतन और मजदूरी को लाभ और हानि विवरण में उस अवधि में मान्यता दी जाती है, जिस अवधि में संबंधित सेवा उस सेवा के लिए विनिमय के रूप में भुगतान किए जाने वाले संभावित लाभों की गैर छूट युक्त राशि पर प्रदान की जाती है।

(iii) **छूट युक्त दरों पर कर्मचारियों को ऋण**

छूट युक्त दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋणों को आरंभिक मान्यता उचित मूल्य पर दी जाती है और तत्पश्चात उनका मापन ऋणमोचन लागत पर किया जाता है। ऐसे ऋणों के आरंभिक उचित मूल्य और लेन-देन मूल्य के बीच अंतर को मान्यता ऋण जारी किए जाने पर आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में दी जाती है, जिसे ऋण की संभावित बकाया अवधि के दौरान सीधी लाईन पद्धति के आधार पर ऋणमोचित किया जाता है। ऋण की संभावित बकाया अवधि में परिवर्तन के मामले में परिवर्तन की तारीख को ऋणमोचित आस्थगित कर्मचारी लागत को उत्तरवर्ती आधार पर ऋण की अद्यतित संभावित बकाया अवधि में ऋणमोचित किया जाता है।

x) **बड़े पूर्वावधि व्यय**

बड़ी पूर्वावधि त्रुटियों को भूतलक्षी प्रभाव से ठीक किया जाता है। इसके लिए पूर्वावधि, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों का पुनः उल्लेख किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत की गई सबसे पहली अवधि से पहले हुई है, तो परिसंपत्तियों, देयताओं और इक्विटी की अथशेष बकाया राशियों का प्रस्तुत की गई सबसे पहली अवधि के लिए पुनः उल्लेख किया जाता है।

xi) **प्रावधान और आकस्मिक देयताएं**

- (i) किसी प्रावधान को उस समय मान्यता दी जाती है, जब समूह की किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान कानूनी अथवा सृजनात्मक बाध्यता होती है और इस बात की संभावना होती है कि ऐसी बाध्यता का निराकरण करना समूह के लिए आवश्यक होगा और बाध्यता की राशि का कोई विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है।
- (ii) प्रावधान के रूप में मान्यता दी गई राशि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में वर्तमान बाध्यता के निराकरण के लिए आवश्यक विचार का सर्वश्रेष्ठ अनुमान है, इसके लिए बाध्यता के इर्द-गिर्द जोखिमों और अनिश्चितताओं को ध्यान में रखा जाता है।
- (iii) जब किसी प्रावधान का निराकरण करने के लिए आवश्यक कुछ अथवा सभी आर्थिक लाभों को तीसरे पक्षकार से वसूल किए जाने की संभावना होती है, तो प्राप्त होने वाली आय को किसी ऐसी परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है, यदि यह आभासी रूप से निश्चित होता है कि इसकी प्रतिपूर्ति हो जाएगी और प्राप्त होने वाली आय की राशि का मापन विश्वसनीय तरीके से किया जा सकता है।
- (iv) जब इस बात की संभावना नहीं होती है कि आर्थिक लाभों का बहिर्गमन आवश्यक होगा अथवा राशि का अनुमान विश्वसनीय ढंग से नहीं लगाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में बाध्यता का प्रकटन लेखाओं की टिप्पणियों में उस स्थिति में आकस्मिक देयता के रूप में किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभों के बहिर्गमन की संभावना बहुत क्षीर्ण नहीं होती है।

xii) **पट्टे**

पट्टे के आधार पर अधिग्रहीत की गई परिसंपत्तियों को प्रचालनरत पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जहां स्वामित्व से जुड़े जोखिम और पुरस्कारों के अधिकांश भाग को पट्टा प्रदाता द्वारा अपने पास रखा जाता है। पट्टे

की अवधि के दौरान पट्टा किरायों को सीधी लाईन आधार पर लाभ और हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

xiii) सामूहिक नियंत्रण के तहत सामूहिक व्यापार

सामान्य नियंत्रण वाले निकायों अथवा व्यवसायों को शामिल करते हुए कोई सामूहिक व्यापार ऐसा व्यापार मिश्रण है, जिसमें व्यापार मिश्रण के पहले और बाद दोनों में सभी सामूहिक निकायों अथवा व्यापारियों का अंतिम नियंत्रण उसी पक्षकार अथवा पक्षकारों के पास और वह नियंत्रण परिवर्तनीय नहीं होता है।

सामूहिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले निकायों अथवा व्यवसायों को शामिल करते हुए व्यापार मिश्रणों की गणना नीचे दिए अनुसार हित पद्धति की पूर्णता का इस्तेमाल करते हुए की जाती है :

- सामूहिक निकायों की परिसंपत्तियों और देनदारियों को उनकी वर्तमान राशियों पर दर्शाया जाता है।
- उचित मूल्य दर्शाने अथवा नई परिसंपत्तियों या देयताओं को प्रदर्शित करने के लिए कोई समायोजन नहीं किया जाता है। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को सामन्जस्यपूर्ण बनाने के लिए ही समायोजन किया जाता है।
- पूर्वावधियों के संदर्भ में वित्तीय विवरणों में वित्तीय सूचना का पुनः उल्लेख मानो इस प्रकार किया जाता है, जैसे कि मिश्रण की वास्तविक तारीख को कोई तरजीह दिए बिना वित्तीय विवरणों में पूर्ववर्ती अवधि की शुरुआत से ही सामूहिक व्यापार किया गया है।

हस्तांतरकर्ता के वित्तीय विवरणों में दर्शाये जा रहे रखे गए अर्जन की बकाया राशियों को प्राप्तकर्ता के वित्तीय विवरणों में दर्शाई जा रही संगत बकाया राशि के साथ एकीकृत किया जाता है। आरक्षित निधियों की पहचान संरक्षित की जाती है और हस्तांतरणकर्ता की आरक्षित निधियां प्राप्तकर्ता की आरक्षित निधियां बन जाती हैं। जारी की गई शेयर पूंजी के रूप में रिकॉर्ड की गई राशियों के बीच अंतर, यदि कोई है और नकदी अथवा अन्य परिसंपत्तियों और हस्तांतरणकर्ता की शेयर पूंजी की राशि के रूप में कोई अतिरिक्त विचारण को पूंजीगत आरक्षित निधियों में हस्तांतरित किया जाता है और उसे अन्य पूंजीगत आरक्षित निधियों से अलग प्रस्तुत किया जाता है।

xiv) वित्तीय लिखत

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है, जब समूह वित्तीय लिखतों के संविदागत प्रावधानों में एक पक्षकार बन जाता है। आरंभिक मान्यता में वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को उचित मूल्य और ऐसी लेन-देन लागत को जोड़कर / घटाकर मान्यता दी जाती है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के अधिग्रहण अथवा उन्हें जारी करने के लिए देय होती हैं। लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) के आधार पर मान्यता दी जाने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के मामले में इसकी लेन-देन लागत को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

1 वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों की सभी नियमित खरीद अथवा बिक्री को निराकरण की तारीख के आधार पर मान्यता दी जाती है और अमान्य घोषित किया जाता है। नियमित आधार पर खरीद अथवा बिक्री वित्तीय परिसंपत्तियों की ऐसी खरीद अथवा बिक्री होती हैं जिसके अंतर्गत बाजार में प्रचलित विनियम अथवा परंपरा द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की प्रदायगी करना अपेक्षित होता है।

आरंभिक मान्यता के पश्चात वित्तीय परिसंपत्तियों का उत्तरवर्ती मापन समग्र रूप से किया जाता है। यह मापन ऋणमोचित लागत अथवा उचित मूल्य पर किया जाता है, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर आधारित होता है।

i) वित्तीय परिसंपत्तियों (इक्विटी लिखतों से इतर) का वर्गीकरण और मापन

क) ऋणमोचित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां :

- निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने वाली वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन प्रभावी ब्याज दर पद्धति (ईआईआर) का प्रयोग कर ऋणमोचित लागत पर बाद में किया जाता है : परिसंपत्ति, जो किसी एक व्यापार मॉडल में रखी जाती है, जिसका उद्देश्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्रित करने के प्रयोजन से परिसंपत्तियों को रखना होता है; और
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जो मूलधन की बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज का संप्रभु भुगतान (एसपीपीआई) होती हैं।

प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर पद्धति)

प्रभावी ब्याज दर पद्धति वित्तीय परिसंपत्ति की ऋणमोचित लागत की गणना और संभावित जीवनकाल में ब्याज से होने वाली आय आवंटित करने की एक पद्धति है। समूह सामान्यतया ईआईआर पद्धति को लागू करते समय किसी भी प्रकार की फीस, भुगतान अथवा प्राप्त किए गए प्वाइंट, लेन-देन लागत और अन्य प्रीमियम अथवा छूट, जो किसी वित्तीय लिखत की प्रभावी ब्याज दर का अभिन्न भाग होते हैं, को ऋणमोचित करता है। एफवीपीपीएल पर वर्गीकृत परिसंपत्तियों से इतर अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए आय को प्रभावी ब्याज दर आधार पर मान्यता दी जाती है।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। संगत संविदा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक पुनर्निर्धारण पर ईआईआर को बाद में अद्यतित किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की शर्तों के संबंध में बाजार में प्रचलित ब्याज दर परंपराओं से इतर मोलभाव हो जाने पर आशोधन से पहले यथा परिकल्पित पूर्ववर्ती ईआईआर का प्रयोग करते हुए मापित किसी लाभ/ हानि को उस अवधि जिसमें ऐसा मोलभाव हुआ है, के दौरान लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

ख) अन्य वृहद आय के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीओसीआई) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है, तो किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीओसीआई के आधार पर किया जाता है :

- व्यापार मॉडल का लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाह एकत्र कर और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री दोनों के माध्यम से हासिल किया जाता है;
- परिसंपत्ति की संविदागत शर्तें विनिर्दिष्ट तारीख को नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं, जो मूलधन की बकाया राशि पर मूलधन और ब्याज का संप्रभु भुगतान (एसपीपीआई) होती हैं। उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों को अन्य वृहद आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है तथा आरक्षित निधियों में उन्हें संचित किया जाता है।

ख) लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य (एफवीटीपीएल) पर वित्तीय परिसंपत्तियां

किसी वित्तीय परिसंपत्ति का मापन एफवीटीपीएल में तब किया जाता है, जब तक कि उसका मापन लाभ और हानि विवरण में मान्यता दिए गए उचित मूल्य में सभी परिवर्तनों के साथ ऋणमोचित लागत अथवा एफवीटीओसीआई पर नहीं किया जाता है।

ii) **वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति**

आरंभिक मान्यता के तत्पश्चात समूह विशेष रूप से संबंधित पक्षकारों से इतर व्यापारिक प्राप्तियों पर वित्तीय परिसंपत्तियों की संभावित क्रेडिट हानि (ईसीआई) को मान्यता देता है। ईसीएल को मान्यता दो वर्ष से अधिक के लिए देय व्यापारिक प्राप्तियों पर 100% आधार पर और एक वर्ष से अधिक परंतु दो वर्ष से कम अवधि के लिए देय व्यापारिक प्राप्तियों पर 50% आधार पर दी जाती है।

iii) **वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य घोषित करना**

समूह किसी वित्तीय परिसंपत्ति को तब अमान्य घोषित करता है, जब परिसंपत्ति से नगदी प्रवाह के संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है अथवा जब वह वित्तीय परिसंपत्ति और इसके स्वामित्व से जुड़े सभी जोखिमों और अधिनिर्णयों को अधिकांश रूप से किसी अन्य पक्षकार को स्थानांतरित कर देता है।

किसी वित्तीय परिसंपत्ति को पूरी तरह से अमान्य घोषित किए जाने पर परिसंपत्ति के वर्तमान मूल्य और प्राप्त एवं प्राप्त होने योग्य राशि के योग के अंतर तथा संचयी लाभ अथवा हानि, जिसे अन्य वृहद आय में मान्यता दी गई और इक्विटी में संचित किया गया था, को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है, बशर्ते कि ऐसे लाभ अथवा हानि को उस वित्तीय परिसंपत्ति के निपटान पर लाभ और हानि विवरण में अन्यथा मान्यता दी जाएगी।

2 वित्तीय देयताएं

i) सभी वित्तीय देयताओं का उत्तरवर्ती मापन प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) पद्धति का प्रयोग करते हुए ऋणमोचित लागत पर किया जाता है।

ईआईआर का निर्धारण वित्तीय परिसंपत्ति की आरंभिक मान्यता पर किया जाता है। संगत संविदा की शर्तों के अनुसार प्रत्येक पुनर्निर्धारण की तारीख को फ्लोटिंग ब्याज दर वाली वित्तीय देयताओं के लिए ईआईआर को बाद में अद्यतित किया जाता है।

ii) वित्तीय देयताओं को अमान्य घोषित किया जाना

समूह वित्तीय देयताओं को उस समय और केवल तब अमान्य घोषित करता है, जब समूह की बाध्यताएं पूरी रद्द अथवा समाप्त हो जाती हैं। अमान्य घोषित की गई वित्तीय देयता की वर्तमान राशि और भुगतान किए गए एवं देय विचारण के अंतर्गत को मान्यता लाभ एवं हानि विवरण में दी जाती है।

xv) **प्रति शेयर अर्जन**

प्रति इक्विटी शेयर आधारभूत अर्जन की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयर धारकों को देय वर्ष के लिए निबल लाभ अथवा हानि को घटाकर की जाती है।

प्रति इक्विटी शेयर तनुकृत अर्जन की गणना के प्रयोजन से इक्विटी शेयर धारकों को देय वर्ष के लिए निबल लाभ अथवा हानि और वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या को सभी तनुकृत किए जाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभाव के लिए समायोजित किया जाता है।

xvi) **लाभांश**

अंतिम लाभांशों को शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है और अंतरिम लाभांशों को निदेशक मंडल द्वारा घोषणा की तारीख को देयता के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है।

xvii) विदेशी मुद्रा लेन - देन और परिवर्तन

समूह की रिपोर्टिंग और प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रूप हैं। विदेशी मुद्रा लेन-देनों को लेन- देन की तारीख को मौजूदा विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए प्रकार्यात्मक मुद्रा के रूप में परिवर्तित किया जाता है।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित धन संबंधी मदों को रिपोर्टिंग अवधि के अंतिम दिन मौजूदा विनिमय दरों का प्रयोग करते हुए परिवर्तित किया जाता है। धन संबंधी मदों पर विनिमय अंतर को मान्यता लाभ और हानि विवरण में उस अवधि में दी जाती है, जब वे उत्पन्न होते हैं।

1.4 प्रथम बार अपनाना – अनिवार्य अपवाद और वैकल्पिक छूटें

समेकित वित्तीय विवरण 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार यथालागू भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार तैयार किए गए हैं। इन लेखांकन और मापन सिद्धांतों को भारतीय लेखांकन मानक की परंपरा शुरू किए जाने की तारीख से और सभी प्रस्तुत अवधियों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है।

तथापि, कुछ मामलों के लिए भारतीय लेखांकन मानक 101 में भारतीय लेखांकन मानक को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के सामान्य सिद्धांतों में अनिवार्य छूटों और वैकल्पिक छूटों का प्रावधान किया गया है। समूह ने भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार अपने अथशेष समेकित तुलनपत्र को तैयार करने में निम्नलिखित छूटों और अपवादों का प्रयोग किया है:

(i) वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण

समूह में वित्तीय परिसंपत्तियों के वर्गीकरण का निर्धारण इस संदर्भ में किया है कि क्या वे ऋणमोचन लागत मानदंड अथवा उचित मूल्य मानदंडों को ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर पूरा करते हैं, जो लेन-देन की तारीख को लागू थे।

(ii) वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

समूह ने भारतीय लेखांकन मानक 109 की क्षति संबंधी आवश्यकताओं को लागू किया है। भारतीय लेखांकन मानक 101 द्वारा यथा स्वीकृत इसने औचित्यपूर्ण और सहायक सूचना का इस्तेमाल किया है , जो लेन-देन की तारीख को क्षति हानि भत्ता निर्धारित करने के प्रयोजन से अदेय लागत एवं प्रयास के बिना उपलब्ध है।

(iii) पिछला व्यापार मिश्रण

समूह ने पिछले व्यापार मिश्रण पर भूतलक्षी प्रभाव से भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापार मिश्रण' को लागू करने का चयन नहीं किया है, जो लेन-देन की तारीख से पहले घटित हुआ है।

(iv) सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में निवेश

समूह ने लेन-देन की तारीख को अपनी मांग लागत के रूप में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और एसोसिएट्स में अपने सभी निवेश के वर्तमान मूल्य के साथ जारी रखने के लिए छूट प्राप्त की है।

(v) वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को अमान्य घोषित करना

समूह ने 01 अप्रैल 2017 (लेन-देन की तारीख) को या उसके बाद होने वाले लेन-देन के लिए उत्तरवर्ती प्रभाव से वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को अमान्य घोषित करने की आवश्यकताओं को लागू किया है।

(vi) **अनुमान**

01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक आधारित अनुमान उन अनुमानों के अनुरूप हैं, जो पूर्ववर्ती जीएएपी (लेखांकन नीतियों में किसी अंतर को दर्शाने के लिए समायोजनों के पश्चात) के अनुरूप तैयार किए जाते हैं। समूह ने लेन-देन की तारीख को भारतीय लेखांकन मानक के अनुसार संभावित क्रेडिट हानि मॉडल के आधार पर वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति के लिए अनुमान लगाए हैं जबकि ये पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत आवश्यक नहीं थे।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

2. संपत्ति, प्लांट और उपस्कर

(लाख रुपए में)

विवरण	कंप्यूटर उपकरण	फर्नीचर और फिक्सचर	कार्यालय उपस्कर	लीजहोल्ड सुधार	कुल
सकल ब्लॉक					
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	147.84	93.71	79.66	160.05	481.27
वृद्धि	15.93	17.15	15.61	5.60	54.29
कटौती/ समायोजन	12.69	3.31	10.88	-	26.88
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	151.09	107.55	84.39	165.65	508.68
वृद्धि	17.85	13.01	29.65	-	60.51
कटौती/ समायोजन	30.26	4.98	37.91	-	73.16
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	138.67	115.57	76.13	165.65	496.03
संचयी मूल्यह्रास					
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	84.81	16.28	37.85	9.32	148.25
वर्ष के लिए प्रभार	40.73	22.37	24.51	44.20	131.81
कटौतियां/ समायोजन	10.54	0.71	6.55	8.71	26.52
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	114.99	37.94	55.80	44.80	253.54
वर्ष के लिए प्रभार	21.05	18.87	19.59	36.14	95.66
कटौतियां/ समायोजन	27.52	2.13	31.84	-	61.49
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	108.53	54.69	43.55	80.94	287.71
निबल ब्लॉक					
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	63.03	77.43	41.82	150.74	333.02
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	36.09	69.60	28.59	120.85	255.13
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	30.14	60.89	32.58	84.71	208.32

नोट :

- i) समूह द्वारा धारित परिसंपत्तियों की प्रकृति और उन पर प्रभारित मूल्यहास की दर को ध्यान में रखते हुए संपत्ति, प्लॉट और उपस्कर की क्षति के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।
- ii) पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत परिसंपत्तियों और संचयी मूल्यहास के सकल ब्लॉक के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार		
	सकल ब्लॉक	संचयी मूल्यहास	निबल ब्लॉक
कंप्यूटर उपस्कर	147.84	84.81	63.03
फर्नीचर और फिक्सचर	93.71	16.28	77.43
कार्यालय उपस्कर	79.66	37.85	41.82
लीजहोल्ड सुधार	160.05	9.32	150.74
	481.27	148.25	333.02

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		
	सकल ब्लॉक	संचयी मूल्यहास	निबल ब्लॉक
कंप्यूटर उपस्कर	151.09	114.99	36.09
फर्नीचर और फिक्सचर	107.55	37.94	69.60
कार्यालय उपस्कर	84.39	55.80	28.59
लीजहोल्ड सुधार	165.65	44.80	120.85
	508.68	253.54	255.13

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

3. अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कुल
सकल ब्लॉक		
1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	31.85	31.85
वृद्धि	-	-
कटौती/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	31.85	31.85
वृद्धि	0.47	0.47
कटौती/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	32.32	32.32
ऋणमोचन		
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	7.50	7.50
वर्ष के लिए प्रभार	10.47	10.47
कटौतियां/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	17.97	17.97
वर्ष के लिए प्रभार	10.49	10.49
कटौतियां/ समायोजन	-	-
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	28.45	28.45
निबल ब्लॉक		
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार		
31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	24.35	24.35
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	13.88	13.88
01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार	3.87	3.87

नोट :

- समूह द्वारा धारित परिसंपत्तियों की प्रकृति और उन पर ऋणमोचन की दर को ध्यान में रखते हुए अमूर्त परिसंपत्तियों की क्षति के लिए कोई प्रावधान आवश्यक नहीं है।
- पूर्ववर्ती जीएएपी के अंतर्गत परिसंपत्तियों और संचयी ऋणमोचन के सकल ब्लॉक के बारे में सूचना निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

विवरण	1 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार		
	सकल ब्लॉक	संचयी ऋणमोचन	निबल ब्लॉक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	31.85	7.50	24.35
	31.85	7.50	24.35

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		
	सकल ब्लॉक	संचयी ऋणमोचन	निबल ब्लॉक
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	31.85	17.97	13.88
	31.85	17.97	13.88

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

4.	ऋण विवरण	(लाख रुपए में)		
		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
गैर चालू				
	क) अन्य ऋण (असुरक्षित, सही माने गए)			
	(i) सुरक्षा जमा राशि (किराया)	83.79	76.99	70.75
	(ii) कर्मचारियों को ऋण	81.21	75.02	110.50
	कुल	164.99	152.01	181.24
चालू				
	क) संबंधित पक्षकारों को ऋण (असुरक्षित, सही माने गए)			
	संचित ब्याज सहित एसोसिएट्स (आईटीपी) को ऋण	376.36	235.02	240.65
	कुल (क)	376.36	235.02	240.65
	ख) संबंधित पक्षकारों को ऋण (असुरक्षित, सही माने गए)			
	संचित ब्याज सहित एसोसिएट्स (आईटीपी) को ऋण	338.07	270.42	111.91
	घटाएं : अशोध्य और संदेहास्पद ऋणों के लिए भत्ते	(336.06)	(265.21)	(110.20)
	कुल (ख)	2.00	5.21	1.71
निदेशक मंडल के विधिवत अनुमोदन से चालू वर्ष में "टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड" नामक एसोसिएट से वसूल किए जाने योग्य 154.28 लाख रुपए की राशि को बट्टे खाते में डाला गया है।				
	ग) अन्य ऋण (असुरक्षित, सही माने गए)			
	(i) सुरक्षा जमा राशि (किराया)	36.65	33.78	5.62
	(ii) कर्मचारियों को ऋण	27.69	26.39	37.24
	कुल (ग)	64.34	60.17	42.87
	कुल (क+ख+ग)	442.71	300.40	285.23

नोट-

- i) ऋणमोचित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संदर्भ में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए नोट संख्या 36 - "वित्तीय लिखत" देखें।
- ii) कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋणों को केवल ऋणमोचित लागत पर ही श्रेणीकृत किया है।
- iii) असोसिएट्स को दिए गए ऋणों पर ब्याज की गणना समय-समय पर यथालागू राज्य क्षेत्र के ऋणकर्ता (श्रेणी 'क') के लिए परियोजना ऋण / योजना (पारेषण) हेतु लागू पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ब्याज दर पर संचयी आधार पर की जाती है।
- iv) **आईटीपी के मामले में ऋण:**
आईटीपी से निम्नलिखित राशियां देय हैं, जो कंपनी के एसोसिएट्स हैं.

(लाख रुपए में)

विवरण		राशि
ऋण - सही माने गए		378.36
ऋण - संदेहास्पद माने गए		336.06
कुल		714.42

आईटीपी सामान्यतया 12 से 18 माह की अवधि के बीच सफल बोलीकर्ताओं को बेच दी जाती हैं, तथापि, कभी - कभी विद्युत मंत्रालय द्वारा आईटीपी की अधिसूचनाओं को वापस भी ले लिया जाता है और इससे हुई हानि को कंपनी द्वारा अवशोषित किया जाता है। पिछले 5 वर्ष के दौरान 5 आईटीपी की अधिसूचनाएं वापस ली गई हैं, जिसके फलस्वरूप 499.12 लाख रुपए की हानि हुई है। इस हानि की गणना उस वर्ष की गई है, जिसमें आईटीपी की अधिसूचना वापस ली जाती है और इसलिए संभावित क्रेडिट हानि के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

5.	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां विवरण	(लाख रुपए में)		
		31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
गैर चालू				
(क)	अन्य बैंक बकाया राशियां संचयी ब्याज सहित 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि वाली जमा राशियां*	423.61	9836.79	14847.78
	कुल	423.61	9836.79	14847.78
*413.62 लाख रुपए की राशि (31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार शून्य रुपए, 1 अप्रैल, 2017 की स्थिति के अनुसार 27 लाख रुपए) शामिल है, जो ग्राहकों को जारी की गई बैंक गारंटियों के विरुद्ध मार्जिन मनी के रूप में रखी गई।				
- ऋणमोचित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के संदर्भ में उचित मूल्य के प्रकटन के लिए नोट संख्या 36 - "वित्तीय लिखत" देखें।				
चालू				
(क) अग्रिम (असुरक्षित, सही माने गए)				
	पूर्तिकर्ता/संविदाकारों को अग्रिम	128.12	124.34	142.24
	कुल (क)	128.12	124.34	142.24
(ख) अग्रिम (असुरक्षित, क्रेडिट क्षतिग्रस्त)				
	पूर्तिकर्ता/संविदाकारों को अग्रिम	9.15	8.90	0.79
	संदेहास्पद अग्रिमों के लिए क्षति भत्ता	(9.15)	(8.90)	(0.79)
	कुल (ख)	-	-	-
(ग) अन्य (असुरक्षित, सही माने गए)				
	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से प्राप्त होने योग्य राशि	99.88	650.18	106.68

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के एसोसिएट (यूएमपीपी) से प्राप्त होने योग्य राशि, संचयी ब्याज सहित **	948.33	0.00	0.00
कुल (ग)	1048.21	650.18	106.68
कुल (क+ख+ग)	1176.33	774.52	248.92

** 948.33 लाख रुपए की प्राप्त होने योग्य राशि लागत आधार पर कंपनी द्वारा यूएमपीपी की ओर से किए गए व्यय के लिए उनसे मांगे गए बिलों के मद में है। पूर्ववर्ती वर्षों में ये प्राप्त होने योग्य राशियां पीएफसी द्वारा अपनी निधियों / यूएमपीपी के क्रेताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम से अदा की गईं। तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 से यह निश्चय किया गया कि इस राशि का भुगतान संबंधित यूएमपीपी द्वारा प्रतिबद्धता अग्रिम, जो क्रेताओं द्वारा अदा किया जाएगा / देय होगा, से किया जाएगा, क्योंकि क्रेताओं द्वारा पहले भुगतान किया गया प्रतिबद्धता अग्रिम कुछ यूएमपीपी में पहले से ही खर्च किया जा चुका है। वर्ष के दौरान 26.98 लाख रुपए के ब्याज की राशि इन प्राप्ति में से प्रभारित की गई है। इस संदर्भ में एक औपचारिक करार पक्षकारों के बीच किए जाने के लिए लंबित है। चूंकि कंपनी को देय राशियों की वसूली यूएमपीपी से की जाएगी , अतः यूएमपीपी से प्राप्त होने वाली राशियों में कोई क्षति नहीं हुई है और संभावित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान आवश्यक नहीं हैं।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
6. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निबल)			
निम्नलिखित के संबंध में			
आस्थगित कर परिसंपत्तियां :			
संपत्ति, प्लांट और उपस्कर तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	38.86	24.01	8.14
अशोध्य और संदेहास्पद व्यापारिक प्राप्तियों के लिए प्रावधान	362.44	359.28	306.66
निवेश के मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान	4.66	4.37	3.46
किराया समतुल्यीकरण के लिए प्रावधान	17.44	11.12	5.71
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	22.88	107.57	32.03
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निबल)	446.27	506.34	355.99

तुलनपत्र में प्रस्तुत आस्थगित कर परिसंपत्तियों का विश्लेषण निम्नानुसार है:

विवरण	(लाख रुपए में)			
	01 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार	लाभ और हानि के लिए क्रेडिट / (प्रभार)	ओसीआई के लिए क्रेडिट / (प्रभार)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
लाभ अथवा हानि में मान्यता प्राप्त वर्ष 2018-19 के संबंध में आस्थगित कर (देयताएं)/ परिसंपत्तियां				
संपत्ति, प्लांट और उपस्कर तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	24.01	14.84	-	38.86
अशोध्य और संदेहास्पद व्यापारिक प्राप्तियों के लिए प्रावधान	359.28	3.16	-	362.44
निवेश के मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान	4.37	0.29	-	4.66

प्रावधान				
किराया समतुल्यीकरण के लिए प्रावधान	11.12	6.32	-	17.44
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	107.57	(84.69)	-	22.88
कुल	506.34	(60.08)	-	446.27

विवरण	(लाख रुपए में)			
	01 अप्रैल 2018 की स्थिति के अनुसार	लाभ और हानि के लिए क्रेडिट / (प्रभार)	ओसीआई के लिए क्रेडिट / (प्रभार)	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार
लाभ अथवा हानि में मान्यता प्राप्त वर्ष 2017-18 के संबंध में आस्थगित कर (देयताएं)/ परिसंपत्तियां				
संपत्ति, प्लॉट और उपस्कर तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	8.14	15.88	-	24.01
अशोध्य और संदेहास्पद व्यापारिक प्राप्तियों के लिए प्रावधान	306.66	52.61	-	359.28
निवेश के मूल्य में क्षति के लिए प्रावधान	3.46	0.91	-	4.37
किराया समतुल्यीकरण के लिए प्रावधान	5.71	5.41	-	11.12
कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	32.03	75.54	-	107.57
कुल	355.99	150.36	-	506.34

7. अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियां

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
गैर ऋणमोचित कर्मचारी लागत	114.17	60.21	28.97
गैर ऋणमोचित सुरक्षा जमा राशि (किराया)	7.56	14.46	21.36
लंबित जांच के कारण स्थायी परिसंपत्तियों में कमी	1.00	-	-
घटाएं : स्थायी परिसंपत्तियों में कमी की हानि के लिए प्रावधान	(1.00)	-	-
कुल	121.73	74.66	50.33

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

8. निवेश

विवरण	शेयरों की संख्या और प्रति शेयर अंकित मूल्य	मालिकाना हित का अनुपात	(लाख रुपए में)		
			31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
गैर उद्धृत इक्विटी लिखत - चालू (लागत पर पूर्णतः प्रदत्त - जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो)					
एसोसिएट कंपनियां					
गोवा-तमनार ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 10000 शेयर	100%	-	-	0.81
फतेहगढ़ - भाडला ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 10000 शेयर	100%	-	-	0.80
बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 10000 शेयर	100%	0.81	0.81	0.81
वापी II- उत्तरी लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 10000 शेयर	100%	0.88	-	-

भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 10000 शेयर	100%	0.87	-	-
फतेहगढ़-II ट्रांसको लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 10000 शेयर	100%	0.87	-	-
वीकानेर खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 10000 शेयर	100%	0.87	-	-
कुल			4.29	0.81	2.41
बंद करने के लिए विचाराधीन एसोसिएट्स					
बल्लभगढ़- जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 50000 शेयर	100%	-	-	-
मोहिंदरगढ़-भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 50000 शेयर	100%	-	-	-
साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 50000 शेयर	100%	-	-	-
टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	प्रत्येक 10 रु. के 50000	100%	0.01	4.71	4.71
घटाएं : क्षति भत्ता			(0.01)	(4.71)	-
शांगटांग करचम-वांगट्ट ट्रांसमिशन लिमिटेड	प्रत्येक 10	100%			

रु. के 10000 शेयर	0.81	0.81	0.81
घटाएं : क्षति भत्ता	(0.81)	-	-
उप जोड़ (क)	-	0.81	5.52
कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	4.29	1.61	7.93
गैर उद्धृत निवेशों की एकीकृत राशि	5.11	6.32	7.93
गैर उद्धृत निवेशों में क्षति की एकीकृत राशि	(0.82)	(4.71)	-

टिप्पणियां:

- i) चार एसोसिएट कंपनियां अर्थात बल्लभगढ़- जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, मोहिंदरगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और शांगटांग करचम -वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड की अधिसूचनाएं विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा वापस ले ली गई हैं और एक एसोसिएट अर्थात दक्षिण केंद्रीय पूर्वी ट्रांसमिशन लिमिटेड के संदर्भ में दिल्ली सरकार ने संबंधित परियोजना में आगे न बढ़ने के लिए कंपनी को सलाह दी है। इन कंपनियों को बंद किए जाने की आवश्यकता है, तदनुसार कंपनी में इन कंपनियों में किए गए व्यय के लिए उस सीमा तक प्रावधान किया है, जहां तक इन्हें वसूली योग्य नहीं माना गया है और इक्विटी शेयरों में निवेश के वसूली योग्य मूल्य को शून्य रूप के रूप में माना गया है।
- ii) कंपनी को विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पारेषण योजनाओं के लिए बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया है। तदनुसार कंपनी ने स्वतंत्र पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के संदर्भ में विशेष प्रयोजन कंपनी के रूप में अपनी पूर्ण स्वामित्व वाले एसोसिएट्स का गठन किया है।
- iii) चालू अवधि के संबंध में प्रावधानों के लिए लगाए गए अनुमान पूर्ववर्ती वर्षों में इनके अनुरूप हैं। ऐसे प्रावधानों की मान्यता के लिए प्रयुक्त पूर्वानुमान और अनुमान प्रकृति रूप में गुणात्मक हैं और अगले वित्तीय वर्ष में उनके समान होने की संभावना परिवर्तित हो सकती है। इन प्रावधानों को मान्यता देने में पूर्वानुमानों और अनुमानों के संभावित प्रभाव की गणना करना कंपनी के लिए अव्यवहार्य है।
- iv) आईटीपी-लकाडिया-वडोदरा ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट लिमिटेड की स्थापना 15 मार्च 2019 को की गई और कंपनी ने इसके 100% इक्विटी शेयर सब्सक्राइव किए हैं। तथापि कंपनी को शेयरों का आवंटन अप्रैल 2019 में किया गया, इस प्रकार इसे निवेश अनुसूची में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

9. प्राप्त होने वाले व्यापार

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
चालू			
प्राप्त होने वाला व्यापार – असुरक्षित सही माने गए	2,964.59	786.36	414.57
प्राप्त होने वाला व्यापार - क्रेडिट क्षति घटाएं : खराब और संदेह भरा प्राप्त होने वाला व्यापार	908.57 (908.57)	959.44 (959.44)	773.35 (773.35)
कुल	2,964.59	786.36	414.57

टिप्पणियां :

- संभावित क्रेडिट हानि को मान्यता दो वर्ष से अधिक अवधि के लिए देय व्यापारिक प्राप्ति पर 100% आधार पर दी जाती है और एक वर्ष से अधिक अवधि परंतु दो वर्ष से कम अवधि के लिए देय व्यापारिक प्राप्ति पर 50% आधार पर दी जाती है। नोट संख्या 36 – वित्तीय लिखत देखें ।
- प्राप्त व्यापारिक राशियों में अल्ट्रा मेगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी), जो पीएफसी के असोसिएट्स हैं के लिए जनशक्ति प्रभारों के लिए प्रस्तुत किए गए बिलों की 1520.22 लाख रुपए (31 मार्च 2018 और 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार शून्य रुपए) की राशि शामिल है । पूर्ववर्ती वर्षों में ये प्राप्त होने योग्य राशियां पीएफसी द्वारा अपनी निधियों / यूएमपीपी के क्रेताओं द्वारा भुगतान किए गए प्रतिबद्धता अग्रिम से अदा की गईं। तथापि वित्तीय वर्ष 2018-19 से यह निश्चय किया गया कि इस राशि का भुगतान संबंधित यूएमपीपी द्वारा प्रतिबद्धता अग्रिम, जो क्रेताओं द्वारा अदा किया जाएगा / देय होगा, से किया जाएगा, क्योंकि क्रेताओं द्वारा पहले भुगतान किया गया प्रतिबद्धता अग्रिम कुछ यूएमपीपी में पहले से ही खर्च किया जा चुका है। इस संदर्भ में एक औपचारिक करार पक्षकारों के बीच किए जाने के लिए लंबित है। चूंकि कंपनी को देय राशियों की वसूली यूएमपीपी से की जाएगी , अतः यूएमपीपी से प्राप्त होने वाली राशियों में कोई क्षति नहीं हुई है और संभावित क्रेडिट हानि के लिए प्रावधान आवश्यक नहीं हैं।

10. नकद और नकद समतुल्य व्यापार

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
(क) बैंक का बकाया			

-चालू खाता (ऑटोस्विप जमा के उपार्जित ब्याज को मिलाकर)	1,732.80	1,962.58	2,459.63
(ख) 3 महीनों तक की मैच्योरिटी के साथ बैंक में जमा राशि (उपार्जित ब्याज सहित)	1,722.57	1,927.00	900.68
कुल	3,455.37	3,889.58	3,360.31

11. नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक बैलेंस

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
3 महीने से ज्यादा परंतु 12 महीने से कम की वास्तविक मैच्योरिटी के साथ जमा राशि (उपार्जित ब्याज सहित)	2,675.40	6,188.47	8,074.23
कुल	2,675.40	6,188.47	8,074.23

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

12. आयकर परिसंपत्तियां (निबल)

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
स्रोत पर अग्रिम आयकर / कर की कटौती (टीडीएस)	1,387.94	1,960.21	3,735.35
घटाएं : आयकर के लिए प्रावधान	(974.45)	(1,763.23)	(3,458.96)
कुल	413.48	196.99	276.39

13. विवरण	अन्य चालू परिसंपत्तियां (लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
असुरक्षित, सही माने गए			
(क) प्राप्त किए गए सेनवैट क्रेडिट	-	5.42	92.17
(ख) प्रीपेड व्यय	-	1.77	8.78
(ग) संविदाकारों/ आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	143.30	201.79	234.93
(घ) गैर ऋणमोचित कर्मचारी लागत	29.15	15.76	7.56
(ङ) गैर ऋणमोचित सुरक्षा जमा राशि (किराया)	6.90	6.90	6.90
कुल	179.35	231.64	350.34

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

14. इक्विटी शेयर पूंजी							
							(लाख रुपए में)
विवरण					31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
प्राधिकृत शेयर पूंजी:							
11,00,000 (31 मार्च 2018: 11,00,000 1 अप्रैल 2017: 11,00,000) प्रत्येक 10 रु. के इक्विटी शेयर					110.00	110.00	110.00
जारी किए गए, सब्सक्राइब किए गए और पूर्णतः प्रदत्त शेयर :							
52,246 (31 मार्च 2018: 52,246 1 अप्रैल 2017: 50,000) प्रत्येक 10 रु. के इक्विटी शेयर					5.22	5.22	5.00
पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड के साथ व्यापार कंबिनेशन का प्रभाव					-	-	0.22
कुल					5.22	5.22	5.22
क)	कंपनी के पास केवल एक ही वर्ग के इक्विटी शेयर हैं, जिनका मूल्य प्रति शेयर 10 रुपया है। इक्विटी शेयर धारक समय-समय पर यथाघोषित लाभांश प्राप्त करने के लिए पात्र हैं और शेयरधारकों की बैठक में अपनी शेयरधारिता के अनुपात में वे मत देने के लिए भी पात्र हैं।						
ख)	वित्तीय वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों का पुनर्मिलान :						

							(लाख रुपए में)
विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए		31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए				
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि	
अथ शेष	52,246	5.22	52,246	5.22	52,246	5.22	
वर्ष के दौरान जारी किया गया	-	-	-	-	-	-	
इति शेष	52,246	5.22	52,246	5.22	52,246	5.22	
ग) धारक कंपनी के द्वारा रखे गए शेयर							
							(लाख रुपए में)
शेयरधारक का नाम	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार		
	रखे गए शेयरों की संख्या	राशि	रखे गए शेयरों की संख्या	राशि	रखे गए शेयरों की संख्या	राशि	
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, धारक कंपनी *	52,246	5.22	52,246	5.22	52,246	5.22	
घ) वैसे शेयरधारकों का विवरण जिनके पास कंपनी के कुल शेयरों का 5% से ज्यादा शेयर हैं।							
विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार		31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार		01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार		
	रखे गए शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का %	रखे गए शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का %	रखे गए शेयरों की संख्या	धारित शेयरों का %	
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड,	52,246	100%	52,246	100%	52,246	100%	

	धारक कंपनी *						
	* पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा इसके नामितियों के द्वारा इक्विटी शेयर रखे जाते हैं।						
ड.)	नकद रूप में भुगतान प्राप्त किए बिना पूर्णतः प्रदत्त शेयरों के रूप में आवंटित शेयरों की एकीकृत संख्या और वर्ग (श्रेणी)						
	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान कंपनी के साथ पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड के विलय के परिणामस्वरूप पीएफसी सीएस के शेयरधारकों को 2246 शेयर जारी किए गए (नोट संख्या 30 देखें) ।						

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

15. अन्य इक्विटी	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
विवरण			
रिजर्व और अधिशेष			
(क) पूंजी आरक्षित निधि (नोट i)	9.78	9.78	9.78
(ख) रखा गया अर्जन (नोट ii और 15.1)	9,158.73	19,816.84	25,303.66
कुल	9,168.51	19,826.61	25,313.43

टिप्पणियां:

- पूंजीगत आरक्षित निधियां: विलय के दौरान भुगतान किए गए विचारण की लागत से अधिक ली गई अतिरिक्त निबल परिसंपत्तियों को पूंजीगत आरक्षित निधियों के रूप में माना गया है।
- रखा गया अर्जन : रखा गया अर्जन ऐसा लाभ है जो समूह ने अब तक अर्जित किया है, जिसमें से सामान्य आरक्षित निधियों में किए गए अंतरण, लाभांश अथवा शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य संवितरण घटा दिए जाते हैं।

15.1. रखा गया अर्जन	(लाख रुपए में)	
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
वर्ष के आरंभ में शेष राशि	19,816.84	25,303.66
वर्ष के लिए लाभ	2,199.19	2,689.07
अंतिम लाभांश का भुगतान	(665.00)	(1,793.00)
अंतिम लाभांश पर कर	(136.69)	(365.01)
अंतरिम लाभांश का भुगतान	(10,000.00)	(5,000.00)
अंतरिम लाभांश पर कर	(2,055.60)	(1,017.88)
वर्ष के अंत में बकाया राशि	9,158.73	19,816.84

16. अन्य गैर-चालू देयताएं	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
विवरण			
किराया सामान्यीकरण	59.89	38.19	16.49
कुल	59.89	38.19	16.49

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

17. व्यापारिक देय राशियां	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
चालू			
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों की कुल बकाया देय राशियां; और	-	-	0.21
सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों से इतर क्रेडिटर्स की कुल बकाया देय राशियां	762.13	355.87	308.14
कुल	762.13	355.87	308.35

समूह जैसे ही बीजक की गणना की जाती है, अपनी वेंडरों को तत्काल भुगतान करता है और वर्ष के दौरान इस मद में किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया गया है या देय नहीं है (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत किए गए प्रकटन के लिए नोट संख्या 35 देखें)। समूह ने यह सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय जोखिम प्रबंधन नीतियों को लागू किया है कि सभी देय राशियों का भुगतान पहले से स्वीकृत क्रेडिट शर्तों के अनुसार किया जाए।

18. अन्य वित्तीय देयताएं	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
चालू			
(क) सुरक्षा जमा राशि	6.35	8.16	35.85
(ख) सफल विकासकर्ता (आईटीपी) को देय राशि	11.88	38.23	90.64
(ग) विद्युत की अल्पकालिक बोली प्रक्रिया के लिए प्राप्त राशि (ई-दीप)*	2,007.46	1,669.88	2,549.59
(द) अन्य देय राशियां	10.53	51.70	170.73
कुल	2,036.22	1,767.96	2,846.81

* विद्युत मंत्रालय (एमओपी) के दिनांक 30 मार्च 2016 के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के जरिए अल्पकालिक विद्युत आवश्यकताओं को सुकर बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में समूह का चयन किया गया है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक बोलीकर्ता को अधिकतम क्षमता जिसके लिए वो बोली लगाना चाहता है, हेतु 500 रुपए प्रति मेगावाट की निर्धारित फीस और यथालागू कर समूह के पास जमा करना आवश्यक है। गतिविधि के पूरा होने पर प्रत्येक बोलीकर्ता को आवंटित मात्रा के लिए केवल सफल बोलीदाता (बोलीदाताओं) को ही समूह को शुल्क का भुगतान करना होगा और बकाया राशि बोलीदाता को लौटा दी जाएगी।

19. अन्य चालू देयताएं	(लाख रुपए में)
-----------------------	----------------

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
(क) देय सांविधिक देयताएं	336.23	619.08	90.98
(ख) ग्राहकों से अग्रिम	54.00	60.00	54.00
कुल	390.23	679.08	144.98

20. प्रावधान

विवरण	(लाख रुपए में)		
	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
चालू			
(क) कर्मचारी बोनस के लिए प्रावधान	252.68	337.25	94.74
(ख) कर्मचारियों के वेतन संशोधन के लिए प्रावधान	5.41	198.22	88.84
कुल	258.09	535.47	183.58

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

21. प्रचालन से राजस्व

विवरण	(लाख रुपए में)	
	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
सेवाओं की बिक्री:		
परामर्श	5,653.49	6,031.13
अन्य प्रचालन राजस्व:		
- अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) की बिक्री	58.00	3.00
- प्रक्रिया फीस	5.79	11.06
- निविदा फीस	40.00	-
कुल	5,757.28	6,045.19

22. अन्य आय

विवरण	(लाख रुपए में)	
	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋणमोचित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों से ब्याज		
- बैंक में जमा राशियां	1,070.80	1,656.62
- एसोसिएट कंपनियों को दिए गए ऋण पर	13.19	31.30
- धारक कंपनी की एसोसिएट कंपनियों से प्राप्त होने वाली राशियों पर	26.98	-
कर्मचारी ऋणों पर छूट की अनवाइंडिंग	20.39	19.00
सुरक्षा जमा राशि पर छूट की अनवाइंडिंग	6.80	6.24
परिसंपत्तियों की बिक्री / स्थानांतरण पर लाभ	0.10	-
विविध आय	0.14	0.34
अन्य गैर प्रचालन आय:		
वापस बट्टे खाते में डाले गए प्रावधान		
- व्यय के लिए	9.10	8.92
- संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए*	112.63	205.62
कुल	1,260.12	1,928.04

* इसमें बिहार राज्य विद्युत बोर्ड से देय 103.93 लाख रुपए और आइडियल एनर्जी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड की 8.70 लाख रुपए की राशि शामिल है, जिनके लिए पूर्ववर्ती वर्षों में संदेहास्पद कर्जों के रूप में प्रावधान किया गया, को वर्ष के दौरान अथवा बाद में वसूल किया गया।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

23. परामर्श सेवा व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
परामर्श प्रभार	1,014.03	656.81
विज्ञापन व्यय	15.02	0.52
अन्य	4.02	-
कुल	1,033.06	657.33

24. कर्मचारी लाभ व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी	955.35	1,078.55
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	137.24	201.41
स्टाफ कल्याण व्यय	69.17	55.24
बट्टे खाते में डाले गए आस्थगित कर्मचारी हित लाभ	32.21	12.70
कुल	1,193.97	1,347.90

टिप्पणियां :

- क) समूह में कार्यरत कर्मचारी पीएफसीएल और एनटीपीसी लिमिटेड से सेकंडमेंट के आधार पर कार्यरत हैं। कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, कर्मचारी लाभ और अन्य हितलाभों के लिए इन कंपनियों के साथ किए गए करार की निबंधन और शर्तें लागू होती हैं। करार के अनुसार सेकंडमेंट के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) के एक निर्धारित प्रतिशत के समतुल्य राशि कर्मचारी हितलाभ जैसे भविष्य निधि, पेंशन, ग्रैच्युटी, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधाओं, छुट्टी संराशिकरण, लंबी सेवा पुरस्कार, आर्थिक पुनर्वास योजना और अन्य सीमांत लाभों के लिए देय हैं। एनटीपीसी लिमिटेड से प्रतिनियुक्ति आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के सीमांत हितलाभों के लिए अंशदान का भुगतान एनटीपीसी लिमिटेड को इससे संबंधित उनकी नीति के अनुसार किया गया है।
- ख) कर्मचारियों के हितलाभों में धारक कंपनी को भुगतान किए गए/ देय कंपनी के योगदान के मद में 111.09 लाख रुपए (गत वर्ष) 85.88 लाख रुपए) की राशि शामिल है और यह ऊपर बताया गए कर्मचारी हित लाभों के लिए शामिल की गई है।

25. मूल्यह्रास और ऋणमोचन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
संपत्ति, प्लॉट और उपस्कर – नोट 2	95.66	123.73
अमूर्त परिसंपत्तियां- नोट 3	10.49	10.47
कुल	106.14	134.20

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

26.

(लाख रुपए
में)

अन्य व्यय विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक को भुगतान :		
लेखापरीक्षक के रूप में	3.75	3.75
कर लेखापरीक्षा शुल्क	0.81	0.81
जीएसटी लेखापरीक्षा शुल्क*	1.62	-
विज्ञापन व्यय	33.75	3.62
बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	4.52	0.27
निर्गमित सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय	133.04	123.54
बिजली और पानी शुल्क	18.18	17.90
मनोरंजन व्यय	13.51	5.21
बीमा	0.09	0.73
टीडीएस और आयकर पर ब्याज का भुगतान	-	14.48
कानूनी और व्यवसायिक व्यय	37.80	15.36
सम्मेलन व्यय	6.88	5.33
अन्य व्यय	4.56	8.50
कार्यालय मरम्मत व्यय	59.62	50.67
कार्यालय किराया	408.04	412.45
आउटसोर्सिंग व्यय	331.07	143.37
मुद्रण और स्टेशनरी	5.01	5.04
दरें और कर (गृह कर और ग्रांड का किराया सहित)	-	1.52
टेलिफोन व्यय	10.47	10.67
प्रशिक्षण व्यय	41.56	24.64
यात्रा और संचार	110.21	94.89

वाहन किराया और संचालन व्यय		6.51		13.75
बट्टे खाते में डाले गए अशोध्य ऋण	154.28	-	-	-
घटाएं : पूर्ववर्ती वर्षों में संदेहास्पद ऋणों के लिए किया गया प्रावधान	154.28	-	-	-
संदेहास्पद ऋणों और अग्रिमों के लिए भत्ते		287.02		555.38
निवेश के मूल्य में क्षति (ह्रास)		0.81		4.71
स्थायी परिसंपत्तियों में कमी की हानि के लिए प्रावधान		-		1.00
कुल		1,518.81		1,517.59

* जीएसटी लेखापरीक्षा शुल्क में पिछले वर्ष का 0.81 लाख रुपए सम्मिलित है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

27. भारतीय लेखांकन मानक 33 "प्रति शेयर अर्जन" के अनुसार प्रकटन

विवरण	(लाख रुपए में)	
	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
अंश के रूप में प्रयुक्त कर पश्चात निबल लाभ	2,199.19	2,689.07
अंश के रूप में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या (आधारभूत और तनुकृत)	52,246	52,246
प्रति इक्विटी शेयर अर्जन, प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले (आधारभूत और तनुकृत) (रुपए में)	4,209.30	5,146.95

28. खंड सूचना

कंपनी विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार शुरू की गई एकीकृत पारेषण परियोजनाओं (आईटीपी) के विकास सहित विद्युत क्षेत्र को परामर्श सेवाएं प्रदान करने का कार्य कर रही है। कंपनी का प्रचालन केवल भारत में है। अतः भारतीय लेखांकन मानक 108 में यथा विहित खंड रिपोर्टिंग (प्रकटन) के लिए रिपोर्टिंग की आवश्यकताएं कंपनी के लिए लागू नहीं होतीं।

28.1. प्रमुख ग्राहकों के बारे में सूचना

निम्नलिखित ग्राहकों ने कंपनी के राजस्व में 10% या उससे अधिक का योगदान दिया:

विवरण	(लाख रुपए में)	
	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
फतेहगढ़- भाडला पारेषण लिमिटेड	-	658.00
उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	695.78	668.38
पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	837.47	932.15
गोवा-तमनार पारेषण परियोजना लिमिटेड	-	1,658.49
	1,533.26	3,917.02

- 2018-19 और 2017-18 दोनों के लिए कंपनी के राजस्व में किसी भी अन्य एकल ग्राहक ने 10% या उससे अधिक का योगदान नहीं दिया।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

29. कर व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू कर	974.48	1,763.23
पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आयकर का समायोजन	(68.85)	14.66
	905.63	1,777.89
चालू वर्ष के लिए आस्थगित कर (नोट संख्या 6 देखें)	60.08	(150.36)
	60.08	(150.36)
लाभ और हानि विवरणी में मान्यता दिया गया कुल कर व्यय	965.71	1,627.53
वर्ष के लिए आयकर संबंधी व्यय का पुनर्मिलान लेखांकन लाभ के साथ निम्नानुसार किया जा सकता है :		
कर पूर्व लाभ	3,164.90	4,316.60
लागू कर दर		29.12% 34.61%
परिकलित आयकर व्यय	921.62	1,493.89
निम्नलिखित का कर प्रभाव :		
काटे न जा सकने वाले व्यय	50.13	52.83
आयकर से मुक्त आय	(7.92)	(8.74)
अंतर कर दर के मद में समायोजन	-	90.34
अन्य	1.88	(0.79)
लाभ अथवा हानि में मान्यता दिया गया आयकर व्यय	965.71	1,627.53

30. व्यापार मिश्रण

दिनांक 30 जनवरी 2019 के कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के आदेश के अनुक्रम में पीएफसी कैपिटल एडवायजरी सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसीसीएस) (अंतरित की जाने वाली कंपनी), पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी का 01 अप्रैल 2018 से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (अंतरणकर्ता कंपनी) के साथ विलय कर दिया गया है। इसका मूल्यांकन समान नियंत्रण के अंतर्गत एक व्यापारिक मिश्रण के रूप में किया गया है और इसकी गणना भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापारिक मिश्रण' के परिशिष्ट 'ग' के अनुसार

ब्याज की पूलिंग पद्धति का इस्तेमाल करते हुए की गई। तदनुसार 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार अथशेष तुलनपत्र और 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों का आवश्यक होने पर पुनः उल्लेख किया गया है।

उपर्युक्त व्यापार मिश्रण का विवरण :

i) किसी जारी प्रतिष्ठान के रूप में सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों को शामिल करते हुए अंतरणकर्ता कंपनी की समग्र व्यापारिक बचनबद्धता 01 अप्रैल 2018 से कंपनी को स्थानांतरित मानी जा रही है क्योंकि यह आमेलन की तारीख है।

ii) अंतरणकर्ता कंपनी, जो कि विद्युत क्षेत्र के लिए ऋण सिंडिकेशन सेवाओं का व्यवसाय कर रही थी, को बिना बंद किए भंग कर दिया गया है।

iii) विलय को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने पीएफसीसीएस के पास धारित प्रत्येक 10 रुपए के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों में से प्रत्येक शेयर के लिए कंपनी के प्रत्येक 10 रुपए के अंकित मूल्य वाले पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर .02246 के अनुपात में एकीकृत रूप से 0.22 लाख के प्रत्येक 10 रुपए के 2246 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

iv) इससे कंपनी की जारी शेयर पूंजी 5.00 लाख रुपए से बढ़कर 5.22 लाख रुपए हो गई है। इसके अलावा योजना के अनुसार कंपनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी भी 110 लाख रुपए बढ़ी हुई मान ली गई है।

v) विलय की गणना समान नियंत्रण के अंतर्गत एक व्यापारिक मिश्रण पर भारतीय लेखांकन मानक 103 'व्यापारिक मिश्रण' के परिशिष्ट 'ग' के अनुसार "ब्याज की पूलिंग पद्धति" का इस्तेमाल करते हुए की गई। तदनुसार अंतरणकर्ता कंपनी की सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को विलयकर्ता कंपनी की खाताबही में दर्शाए अनुसार उनके संगत बही मूल्यों पर लिया गया है। इसके अलावा योजना के अनुरूप अंतरणकर्ता कंपनी की परिसंपत्तियों के निबल योग और कंपनी द्वारा जारी किए गए क्रय मूल्य (0.22 लाख रुपए के शेयर) के बीच अंतर के रूप में 9.78 लाख रुपए की गणना कंपनी की पूंजीगत आरक्षित निधियों के रूप में की गई है।

विलय के समायोजन के प्रभाव के लिए नोट संख्या 37 देखें।

31. संबंधित पक्षकार प्रकटन

31.1 संबंधित पार्टियों और उनके संबंध का वर्णन :

धारक कंपनी			
1	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएफसीएल)		
सहायक कंपनी			
1	आरईसी लिमिटेड (आरईसीएल)	2	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसी के द्वारा)
3	आरईसी पारेषण परियोजना कंपनी लिमिटेड (आरईसीएल के द्वारा)	4	पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्राइवेट) लिमिटेड (पीईसीएपी)
संबंधित कंपनी			
1	बल्लभगढ़ - जीएन ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	2	शांगटांग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड
3	मोहिंदरगढ़ - भिवानी ट्रांसमिशन लिमिटेड	4	टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
5	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	6	बिजावर- विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड

7	बीकानेर- खेत्री ट्रांसमिशन लिमिटेड (22.02.2019 को गठित)	8	भुज-II ट्रांसमिशन लिमिटेड (25.02.2019 को गठित)
9	फतेहगढ़ –II ट्रांसको लिमिटेड (26.02.2019 को गठित)	10	लकाडिया- वडोदरा ट्रांसमिशन परियोजना लिमिटेड (15.03.2019 को गठित)
11	वापी II नॉर्थ लखीमपूर ट्रांसमिशन लिमिटेड		
धारक कंपनी के एसोसिएट्स			
1	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)	2	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)
3	उडीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)	4	घोघरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)
5	(पीएफसीएल के माध्यम से) कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	6	तातिया आंध्रा मेगा पावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)
7	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)	8	देवघर मेगा पावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)
9	छत्तीसगढ़ सर्गुजा पावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)	10	चेन्नूर इंफ्रा लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)
11	देवघर इंफ्रा लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)	12	ओडीशा इंफ्रापावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)
13	बिहार इंफ्रापावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)	14	बिहार मेगा पावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)
15	झारखंड इंफ्रापावर लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)	16	दिनचेंग ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
17	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	18	चांदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
19	भिंड-गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	20	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
21	जम खंबालिया ट्रांसको लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	22	जवाहरपुर – फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
23	अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	24	उडुपी कासागोड ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
25	डब्ल्यूआरएसएस XXI (क) ट्रांसको लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	26	खेत्री ट्रांसको लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
27	लकाडिया बनासकंठा ट्रांसको लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)	28	घाटमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)
29	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड (आरईसीएल के माध्यम से)		
संयुक्त उद्यम			
1	एनर्जी इफिसिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (पीएफसीएल के माध्यम से)		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)			

क्र. सं.	नाम	पदनाम
1	श्री राजीव शर्मा (01 अक्टूबर 2016 से)	अध्यक्ष
2	श्री डी रवि (31 मई 2018 तक)	निदेशक
3	श्री सी गंगोपाध्याय (25 जनवरी 2015 से)	निदेशक
4	श्री पी के सिंह (17 सितंबर 2018 से)	निदेशक
5	श्री एन. बी. गुप्ता (24 अगस्त 2017)	निदेशक
6	श्री सुबीर मूलचंदानी * (9 अक्टूबर 18 तक)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
7	श्री योगेश जुनेजा (10 अक्टूबर 18 से)	मुख्य कार्यकारी अधिकारी
8	श्री मनीष कुमार अग्रवाल	कंपनी सचिव

समान सरकार के नियंत्रणाधीन निकाय			
1	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	2	एमएसटीसी लिमिटेड
3	एनएचपीसी लिमिटेड	4	कोल इंडिया लिमिटेड
5	मेकॉन लिमिटेड		

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

31.2.

लेन-देन के विवरण :

31.2.1.		(लाख रुपए में)	
धारक कंपनी और इसके एसोसिएट्स के साथ लेन-देन		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
विवरण			
जनशक्ति प्रभार व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए प्राप्त होने योग्य राशि		1,640.55	1,540.37
यूएमपीपी से प्राप्त राशियों पर ब्याज आय		960.39	1,464.00
		26.98	-
31.2.2. एसोसिएट्स के साथ लेन-देन		(लाख रुपए में)	
विवरण		31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
जनशक्ति प्रभार		320.03	358.76
स्वीकृत ऋण		276.24	166.48
अर्जित ब्याज		13.19	31.30
सफल बोलीदाता को आईटीपी के हस्तांतरण पर परामर्श आय		421.61	2,075.00
31.2.3. समान सरकार के नियंत्रणाधीन निकायों के साथ लेन-देन		(लाख रुपए में)	
संबंधित पक्षकार का नाम	लेन-देन की प्रकृति	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	अल्पकालिक बोली प्रक्रिया फीस	9.95	40.65
एमएसटीसी लिमिटेड	अल्पकालिक बोली प्रक्रिया फीस	1.89	5.30
एनएचपीसी लिमिटेड	प्रायोगिक योजना फीस	200.00	-
कोल इंडिया लिमिटेड	परामर्श आय	-	33.50
मेकॉन लिमिटेड	परामर्श आय	-	25.00
एमएसटीसी लिमिटेड	परामर्श व्यय	117.00	110.00

सरकार से संबंधित निकायों से संबंधित उपर्युक्त लेन-देन ऐसे लेन-देनों में शामिल होते हैं जो अलग-अलग और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। समूह ने उपर्युक्त और अन्य विभिन्न सरकारी निकायों के साथ अन्य तरह के लेन-देन भी किए हैं जैसे कि टेलीफोन व्यय, हवाई यात्रा, ईंधन की खरीद और जमा राशियां इत्यादि। ये लेन-देन अलग-अलग और सामूहिक रूप से महत्वपूर्ण हैं और इसलिए इनका प्रकटन नहीं किया गया है।

31.2.4. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को क्षतिपूर्ति :

सीईओ और कंपनी सचिव, जो पूर्णकालिक आधार पर कार्यरत हैं, को छोड़कर कंपनी के महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी हैं और यहां अंशकालिक आधार पर तैनात हैं। निदेशकों को कोई भी सीटिंग फी का भुगतान नहीं किया गया है। केएमपी को भुगतान किया गया प्रबंधकीय मेहनताना 129.58 लाख रुपए (गत वर्ष 66.69 लाख रुपए) है।

31.3. बकाया राशियों के विवरण :

31.3.1. समूह की कंपनियों के साथ बकाया राशियां (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
संचित ब्याज सहित प्राप्त होने वाली राशि			
- धारक कंपनी और इसके एसोसिएट्स से	2,431.22	650.18	106.68
- एसोसिएट्स से	378.61	240.23	242.36

31.3.2. समान सरकार के नियंत्रणाधीन निकायों के साथ बकाया राशियां (लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
मेकॉन लिमिटेड	-	2.14	2.14

टिप्पणियां:

- i) संबंधित पक्षकारों के साथ लेन-देन सामान्य वाणिज्यिक निबंधन और शर्तों के आधार पर किए जाते हैं और घनिष्ठ होते हैं।
- ii) अपने एसोसिएट्स को कंपनी द्वारा प्रदान की गई परामर्श सेवाएं सामान्यतया अन्य पक्षकारों को प्रदान की गई परामर्श सेवाओं के लिए लागू निबंधन और शर्तों और सिद्धांतों के आधार पर दी जाती है।

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

32. आकस्मिक देयताएं

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
(क)	जारी की गई बैंक गारंटी (100% मार्जिन के विरुद्ध)	409.62	-	27.00

33. पूंजीगत और अन्य प्रतिबद्धताएं

पूंजीगत लेखा में निष्पादित किए जाने के लिए शेष संविदाओं की अनुमानित राशि जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है - शून्य रुपए (31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार शून्य रुपए और 01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार शून्य रुपए) ।

34. प्रचालनरत पट्टों के अंतर्गत बाध्यताएं :

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाएं कार्यालयों के लिए परिसरों और कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग हेतु प्रचालनरत पट्टों के संदर्भ में की गई हैं। पट्टा करारों में खरीद के कोई विकल्प नहीं हैं। कर्मचारियों के आवासीय प्रयोग के लिए परिसरों के पट्टा करार 1 - 2 वर्ष की अवधि के लिए किए गए हैं और सामान्यतया पट्टाधारक और पट्टा प्रदाता दोनों की आपसी सहमति से उन्हें रद्द किया जा सकता है। वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा पट्टे पर लिए गए कार्यालय परिसरों के लिए पट्टा करार सामान्यतया पट्टाधारक और पट्टा प्रदाता दोनों की आपसी सहमति से रद्द किए जा सकते हैं। कार्यालयों के लिए परिसरों के संदर्भ में पट्टा संबंधी 408.04 लाख रुपए (गत वर्ष 412.45 लाख रुपए) का भुगतान नोट-26 - अन्य व्यय में 'कार्यालय किराया' के रूप में दर्शाया गया है (जिसमें 21.70 लाख रुपए (गत वर्ष 21.70 लाख रुपए) का पट्टा सामान्यीकरण व्यय शामिल है और कर्मचारियों के आवासीय इस्तेमाल के लिए परिसरों के संदर्भ में 21.40 लाख रुपए (गत वर्ष 36.17 लाख रुपए) के पट्टा संबंधी भुगतान की निबल वसूलियों को नोट संख्या 24 -कर्मचारी हितलाभ व्यय में वेतन और भत्तों में शामिल किया गया है।

35. एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत यथापरिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों की बकाया राशियों के विवरण (कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर) :

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
(i)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी पूर्तिकर्ता को भुगतान न की गई बकाया राशि का मूलधन और उसपर देय ब्याज - सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय मूलधन की राशि	-	-	0.21

	- उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-	-
(ii)	वर्ष के दौरान निर्धारित दिन के बाद पूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशियों के साथ-साथ कंपनी द्वारा भुगतान किए गए ब्याज की राशि	-	-	-
(iii)	भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय और भुगतान योग्य ब्याज की राशि (वर्ष के दौरान जिसका भुगतान किया गया है, परंतु निर्धारित दिन के बाद) परंतु इस अधिनियम के अंतर्गत यथा विनिर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना	-	-	-
(iv)	वर्ष के अंत में संचित और भुगतान के लिए बकाया ब्याज की राशि	-	-	-
(v)	लघु उद्यमों को वार्षिक आधार पर भुगतान किए गए उपर्युक्त देय ब्याज की निर्धारित तारीख तक यहां तक कि उत्तरवर्ती वर्षों में देय और भुगतान योग्य बकाया ब्याज की राशि	-	-	-

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड

(सीआईएन : यू 74140 डीएल 2008 जीओआई 175858)

(पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी)

समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

36.	वित्तीय लिखत				
36.1.	पूंजी प्रबंधन				
	पूंजी प्रबंधन के लिए कंपनी का उद्देश्य शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करना, व्यवसाय समुदाय के हितों की रक्षा करना और कंपनी के विकास में सहयोग करना है। निधियन संबंधी आवश्यकताओं को इक्विटी और सृजित प्रचालनरत नकदी प्रवाह के माध्यम से पूरा किया जाता है।				
36.2.	वित्तीय लिखतों की श्रेणियां				
	वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं				(लाख रुपए में)
	विवरण	नोट	31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
	ऋणमोचित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां				
	नकदी और नकदी समतुल्य	10	3,455.37	3,889.58	3,360.31
	अन्य बैंक बकाया	11	2,675.40	6,188.47	8,074.23
	व्यापारिक प्राप्तियां	9	2,964.59	786.36	414.57
	ऋण	4	607.70	452.41	466.47
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	5	1,599.93	10,611.31	15,096.70
	कुल		11,302.99	21,928.13	27,412.27
	ऋणमोचित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां				
	व्यापारिक देय राशियां	17	762.13	355.87	299.89
	अन्य वित्तीय देयताएं	18	2,036.22	1,767.96	2,846.81
	कुल		2,798.35	2,123.83	3,146.70
-	वित्तीय लिखतों पर लेखांकन नीति संख्या 1.3 (xiv) देखें				
36.3.	वित्तीय जोखिम प्रबंधन				
	कंपनी की वित्तीय देयताओं में व्यापारिक देय राशियां और अन्य देय राशियां शामिल हैं। कंपनी की वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी और नकदी समतुल्य, अन्य बैंक बकाया, एसोसिएट्स (आईटीपी) के ऋण, व्यापारिक प्राप्तियां और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं। इन जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी यह सुनिश्चित				

	करती है कि इन जोखिमों की निगरानी सावधानीपूर्वक की जाए और दक्षतापूर्वक इनका प्रबंधन किया जाए। इन जोखिमों में बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता संबंधी जोखिम शामिल होते हैं।
	उपर्युक्त में से प्रत्येक जोखिमों का मूल्यांकन और प्रबंधन करने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों के लिए कंपनी के एक्सपोजर का सारांश निम्नलिखित प्रकटनों में किया गया है।
क.	तरलता संबंधी जोखिम
	<p>तरलता संबंधी जोखिम वह जोखिम है, जो कंपनी को अपनी वित्तीय देयताओं के साथ जुड़ी बाध्यताओं को पूरा करने में झेलना पड़ेगा। तरलता के प्रबंधन में कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास किसी अस्वीकार्य हानियों के बिना वित्तीय देयताएं देय होने पर उनको पूरा करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त निधियां उपलब्ध हों। ऐसा करने में कंपनी सामान्य के साथ-साथ तनावग्रस्त स्थितियों दोनों पर विचार करती है।</p> <p>कंपनी ने 31 मार्च 2019 और 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान पर्याप्त नकद बकाया राशि के साथ एक सचेत तरलता रणनीति बनाए रखी। प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह दिन-प्रतिदिन आधार पर वित्तीय बाध्यताओं को पूरा करने के लिए निधियां उपलब्ध कराता रहा।</p>
B.	बाजार जोखिम
	बाजार जोखिम ऐसा जोखिम है जो बाजार मूल्यों में परिवर्तन से परिवर्तित होता है, जैसे कि विदेशी विनिमय दर, ब्याज दर और इक्विटी मूल्य से कंपनी की आय प्रभावित होगी अथवा वित्तीय लिखतों पर इसकी धारिता का मूल्य प्रभावित होगा। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करते हुए स्वीकार्य मानदंडों के भीतर बाजार जोखिम एक्सपोजर का प्रबंधन और नियंत्रण करना है।
	i) विदेशी मुद्रा जोखिम
	कंपनी के पास विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में परिवर्तन के लिए कोई एक्सपोजर नहीं है क्योंकि कंपनी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई भी लेन-देन नहीं करती है और कंपनी की सभी गतिविधियां केवल भारत तक ही सीमित हैं।
	ii) Interest Rate Risk
	The company's interest आय is majorly derived from terms deposits, loan to associates and राशि receivable from associates of Holding Company. The term deposits are invested at fixed market interest rate and hence these are not exposed to change in interest rates. Further loans/राशि receivable from associates and associates of Holding company are चालू and are recoverable within a year. Considering the short-term nature, there is no significant interest rate risk pertaining to these deposits, loan to associates and राशि receivable from associates of Holding Company.
	iii) इक्विटी Price Risk
	The company is not exposed to इक्विटी price risk as company has इक्विटी investment only in its associates (ITPs) which are not tradable in the market.
C.	Credit Risk
	Credit risk is the risk of वित्तीय loss to the Company if a customer or counter-party fails to meet its contractual obligations. The Company primarily provides consultancy services to customers comprising, mainly state electricity boards owned by state government and अन्य government owned enterprises. The risk of default in case of these state owned companies is considered to be insignificant. A default occurs when in the view of Company there is no significant possibility of recovery of receivables after considering all available options for recovery. However, All trade receivables are reviewed and assessed for default on a yearly basis and allowances for expected credit loss provided for, if any.

i)	Trade Receivables				
	Concentration of credit risk with respect to trade receivables are लिमिटेड, due to the Company's customer base comprises, mainly state electricity boards owned by state governments and अन्य government owned enterprises. Company's historical experience of collecting receivables is that credit risk is low.				
	Subsequent to initial recognition, the Company recognises expected credit loss (ECL) on वित्तीय परिसंपत्तियां especially on trade receivables अन्य than related parties. ECL is recognised at 100% on the trade receivables due for more than 2 years and 50% on the trade receivables due for more than one year and less than 2 years.				
	(I) Ageing analysis of Trade receivables is as follows :				
					(लाख रुपए में)
	विवरण	0 to 1 year	1 to 2 year	More than 2 years	कुल
	Gross carrying राशि as at 31 March 2019	2,961.37	6.45	905.34	3,873.16
	Gross carrying राशि as at 31 March 2018	730.70	111.31	903.79	1,745.80
	Gross carrying राशि as at 01 April 2017	388.06	53.02	746.84	1,187.91
	(II) Movement in the expected credit loss allowance				(लाख रुपए में)
	विवरण			31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार
	Balance at the beginning of the year			959.44	773.35
	-Impairment allowance reversal			112.52	205.62
	-Impairment losses recognised			61.64	391.72
	Balance at the end of the year			908.57	959.44
ii)	Loans				
	The Company has given loans to employees and associates. Loans to the employees have been given in line with the policies of the Company. Loan to associates are interest bearing loans given by way of allocation of expenditure and charging of manpower cost. The loan provided to employees and related companies are collectible in full and risk of default is negligible. However, 100% impairment loss is provided for the loan to associates wherein the project underlying the company is de-notified by the Ministry of Power.				
iii)	Cash and cash equivalents				
	The Company held cash and cash equivalents of Rs. 3455.37 lakh (as at 31 March 2018: Rs. 3889.58 lakh and as at 1 April 2017: Rs.3360.31 lakh). The cash and cash equivalents are held with banks with high rating and hence risk of default is negligible.				
iv)	Deposits with banks				
	The Company held deposits with banks of Rs. 3099 lakh (as at 31 March 2018: Rs. 16025.26 lakh and as at 1 April 2017: Rs. 22922 lakh). In order to manage the risk, Company places deposits with only high rated banks.				
36.4.	Fair value hierarchy				

	Level 1	Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical परिसंपत्तियां or देयताएं.		
	Level 2	Inputs अन्य than quoted prices included within Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly (i.e. as prices) or indirectly (i.e. derived from prices).		
	Level 3	Inputs for the परिसंपत्तियां or देयताएं that are not based on observable market data (unobservable inputs).		
		Note: The Company does not have the वित्तीय परिसंपत्तियां and वित्तीय देयताएं that are measured at fair value on a recurring basis.		

**Reconciliations for
First Time
Adoption of Ind AS**

Effect of Ind AS adoption on the balance sheet as at 31 March 2018 and 01 April 2017

(लाख
रुप में)

S. No.	विवरण	Note No.	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार				01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार			Ind-AS
			Previous GAAP*	Adjustment due to merger**	Effect of transition to Ind AS	Ind-AS	Previous GAAP*	Adjustment due to merger**	Effect of transition to Ind AS	
	परिसंपत्तियां गैर-चालू परिसंपत्तियां Property, plant and equipment		255.13	-	-	255.13	324.75	0.19	8.08	333.02
	अन्य intangible परिसंपत्तियां		13.88	-	-	13.88	24.35	-	-	24.35
	वित्तीय परिसंपत्तियां Loans	(iii)	208.96	-	(56.95)	152.01	225.95	-	(44.71)	181.24
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		9,321.06	515.74	-	9,836.79	14,675.4 4	172.35	-	14,847.78
	आस्थगित कर	(iv)	385.60	0.06	120.68	506.34	347.71	0.22	8.05	355.99
	परिसंपत्तियां अन्य गैर- चालू परिसंपत्तियां	(iii)	-	-	74.66	74.66	-	-	50.33	50.33

Sub-कुल (1)		10,184.64	515.80	138.39	10,838.8 3	15,598.2 1	172.76	21.75	15,792.71
चालू परिसंपत्तियां									
वित्तीय परिसंपत्तियां Investments		2.00	-	(0.39)	1.61	9.00	-	(1.07)	7.93
Trade receivables	(iii)	1,200.77	-	(414.41)	786.36	437.84	-	(23.27)	414.57
Cash and cash equivalents		3,889.01	0.57	-	3,889.58	3,225.89	134.42	-	3,360.31
अन्य bank balances	(i,ii)	5,845.14	343.33	-	6,188.47	7,560.03	514.20	-	8,074.23
Loans		336.14	-	(35.74)	300.40	306.32	-	(21.09)	285.23
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां		774.35	0.17	-	774.52	248.30	0.62	-	248.92
चालू कर परिसंपत्तियां (निबल)	(i,ii)	196.44	0.55	-	196.99	273.58	2.81	-	276.39
अन्य चालू परिसंपत्तियां		203.56	5.42	22.66	231.64	330.52	5.36	14.46	350.34
Sub-कुल (2)		12,447.41	350.04	(427.88)	12,369.5 7	12,391.4 7	657.41	(30.97)	13,017.91
कुल परिसंपत्तियां (1+2)		22,632.04	865.84	(289.49)	23,208.4 0	27,989.6 7	830.16	(9.22)	28,810.62
इक्विटी AND देयताएं									
इक्विटी शेयर पूंजी	(v)	5.00	0.22	-	5.22	5.00	0.22	-	5.22
अन्य इक्विटी		19,251.31	864.79	(289.49)	19,826.6 1	24,593.7 2	826.46	(106.75)	25,313.43
Sub-कुल (3)		19,256.31	865.01	(289.49)	19,831.8 4	24,598.7 2	826.69	(106.75)	25,318.66
देयताएं गैर-चालू देयताएं									
अन्य गैर- चालू देयताएं		38.19	-	-	38.19	16.49	-	-	16.49

Sub-कुल (4)	38.19	-	-	38.19	16.49	-	-	16.49
चालू देयताएं								
वित्तीय देयताएं								
Trade payables								
(क) कुल outstanding dues of micro enterprises and small enterprises	-	-	-	-	0.21	-	-	0.21
(ख) कुल outstanding dues of creditors अन्य than micro enterprises and small enterprises	355.87	-	-	355.87	299.89	-	-	299.89
अन्य वित्तीय देयताएं	1,767.42	0.55	-	1,767.96	2,836.03	0.99	9.79	2,846.81
अन्य चालू देयताएं	679.04	0.03	-	679.08	144.87	0.11	-	144.98
प्रावधान	535.22	0.25	-	535.47	93.46	2.38	87.74	183.58
Sub-कुल (5)	3,337.54	0.83	-	3,338.37	3,374.46	3.48	97.53	3,475.47
कुल इक्विटी and देयताएं (3+4+5)	22,632.04	865.84	(289.49)	23,208.4 0	27,989.6 7	830.16	(9.22)	28,810.62

As required under Paragraph (10C) of Ind AS 101, the Company has reclassified items that it recognised in accordance with previous GAAP as one type of asset, liability or component of इक्विटी, but are a different type of asset, liability or component of इक्विटी in accordance with Ind ASs.

Notes :

(i) **Security
Deposits
(Rental
deposits)**

Under the previous GAAP, interest free refundable security deposits were recorded at their transaction value. Under Ind AS, all वित्तीय परिसंपत्तियां are required to be measured at fair value. Accordingly, the Company has measured these security deposits at amortised cost under Ind AS. Difference between the fair value and transaction value of the security deposit has been recognised as unamortised सुरक्षा जमा राशि (किराया).

(ii) **Loans to
Employees**

Under previous GAAP, employee loans to be settled in cash or an अन्य वित्तीय asset were recorded at cost. Under Ind AS 32, Employee Loans are required to be measured at amortized cost. Thus as the interest rate on such वित्तीय परिसंपत्तियां is lower than market rate, these वित्तीय परिसंपत्तियां have been discounted to present value. Difference between the fair value and transaction value of the employee loans has been recognised as unamortised employee cost.

(iii) **अन्य**

Cash and cash equivalents, अन्य bank balances and dividend distribution कर have been reclassified as per the presentation/disclosure requirements of Ind AS and division II of Schedule III of Companies Act, 2013. There is no impact on the कुल इक्विटी or profit as a result of these classifications.

(iv) **आस्थगित**

कर

Under Previous GAAP, आस्थगित कर was accounted using the आय statement approach, on the timing differences between the करable profit and accounting profits for the period. Under Ind AS, आस्थगित कर is recognized following balance sheet approach on the temporary differences between the carrying राशि of asset or liability in the balance sheet and its कर base.

(v) **रखा गया**

अर्जन

रखा गया अर्जन as at 1 April 2017 has been adjusted consequent to the above Ind AS transition adjustments.

Refer Note 30 for details of Business Combination

PFC CONSULTING लिमिटेड

(CIN:

U74140DL2008GOI175858)

(A Wholly Owned

Subsidiary of Power Finance

Corporation लिमिटेड)

Notes to Consolidated Ind

AS वित्तीय statements

B. Effect of Ind AS adoption on Consolidated Statement of Profit and Loss for the year ended 31 March 2018

(लाख रुपए में)

S. No.	विवरण	Note No.	Previous GAAP*	Adjustment due to merger	Effect of transition to Ind AS	Ind-AS
I.	आय प्रचालन से राजस्व		6,045.19	-	-	6,045.19
II.	अन्य आय	(i,ii)	1,841.72	61.08	25.24	1,928.04
III.	कुल आय (I+II)		7,886.91	61.08	25.24	7,973.23
IV.	व्यय Consultancy					657.33

	Service Expense कर्मचारी लाभ व्यय	(ii)	657.33 1,335.20	- -	- 12.70	1,347.90
	Finance cost मूल्यहास और ऋणमोचन व्यय		- 134.20	- -	- -	- 134.20
	अन्य व्यय	(i)	1,113.88	4.85	398.86	1,517.59
	Prior Period Items (निबल)	(iii)	90.56	-	(90.56)	-
	कुल व्यय (IV)		3,331.17	4.85	321.00	3,657.02
V.	Profit before share of profit/(loss) of associates		4,555.74	56.23	(295.75)	4,316.21
VI.	Share of profit/(loss) of associates		-	-	0.39	0.39
VII.	Profit/(loss) before कर (V- VI)		4,555.74	56.23	(295.36)	4,316.60
VIII.	कर expense:					
	चालू कर		1,748.44	14.79	-	1,763.23
	आयकर adjustment for earlier years		11.71	2.95	-	14.66
	आस्थगित कर	(iv)	(37.89)	0.16	(112.62)	(150.36)
	कुल कर Expense (VIII)		1,722.25	17.90	(112.62)	1,627.53
IX.	Profit/(loss) for the period (VII-VIII)		2,833.48	38.33	(182.74)	2,689.07
X.	अन्य वृद्ध आय		-	-	-	-
XI.	कुल वृद्ध आय for the period (IX+X)		2,833.48	38.33	(182.74)	2,689.07

* As required under Paragraph (10C) of Ind AS 101, the Company has reclassified items that it recognised in accordance with previous GAAP as one type of asset, liability or component of इक्विटी, but are a different type of asset, liability or component of इक्विटी in accordance with Ind ASs.

Note :

**(i) Security Deposits
(Rental deposits)**

Under the previous GAAP, interest free refundable security deposits were recorded at their transaction value. Under Ind AS, all वित्तीय परिसंपत्तियां are required to be measured at fair value. Accordingly, the Company has measured these security deposits at amortised cost under Ind AS. Difference between the fair value and transaction value of the security deposit has been recognised as unamortised सुरक्षा जमा राशि (किराया).

(ii) Loans to Employees

Under previous GAAP, employee loans to be settled in cash or an अन्य वित्तीय asset were recorded at cost. Under Ind AS 32, Employee Loans are required to be measured at amortized cost. Thus as the interest rate on such वित्तीय परिसंपत्तियां is lower than market rate, these वित्तीय परिसंपत्तियां have been discounted to present value. Difference between the fair value and transaction value of the employee loans has been recognised as unamortised employee cost.

(iii) This represents adjustment of prior period items shown under previous GAAP in the relevant year as per Ind AS.

(iv) **आस्थगित कर**

Under Previous GAAP, आस्थगित कर was accounted using the आय statement approach, on the timing differences between the करable profit and accounting profits for the period. Under Ind AS, आस्थगित कर is recognized following balance sheet approach on the temporary differences between the carrying राशि of asset or liability in the balance sheet and its कर base. In addition, various transitional adjustments has also led to recognition of आस्थगित करes on new temporary differences.

C. Reconciliation of इक्विटी as previously reported under Indian GAAP to Ind-AS

(लाख रुपए में)

विवरण	31 मार्च	01 अप्रैल
	2018 की स्थिति के अनुसार	2017 की स्थिति के अनुसार
अन्य इक्विटी as reported under previous GAAP*	19251.31	24593.72
Impact of Merger on अन्य इक्विटी	864.79	826.46
Effect of consolidation	(0.39)	(1.07)
Ind-AS Adjustments:		
Expected Credit Loss	(414.41)	(23.27)
आस्थगित कर Asset on above ECL	120.68	8.05
Reversal of provision for CSR	0.00	1.10
Unwinding of discount on employee loan valued at amortised cost	6.30	0.00
Unwinding of discount on security deposit valued at amortised cost	(1.66)	(1.01)
Prior period adjustments	0.00	(90.56)
कुल Impact on इक्विटी	575.30	719.71
अन्य इक्विटी as reported under Ind-AS	19826.61	25313.43

* As required under Paragraph (10C) of Ind AS 101, the Company has reclassified items that it recognised in accordance with previous GAAP as one type of asset, liability or component of इक्विटी, but are a different type of asset, liability or component of इक्विटी in accordance with Ind ASs.

D. Reconciliation of कुल वृहद आय for the year

ended 31 March 2018

(लाख रुपए
में)

For the
year
ended

विवरण

31.03.2018

निबल profit after कर as reported under Previous GAAP	2,833.48
निबल profit after कर as reported under Previous GAAP of PFCCAS (post-merger)	38.33
Adjustments related to:	
Effective Interest Rate (EIR) / आय on loans classified at Amortised Cost	5.65
Reinstatement of Prior period व्यय	90.56
Impairment Allowance (ECL)	(391.14)
अन्यs - CSR Provision	(1.10)
Effect of Consolidation	0.68
DTA on राशि of accumulated Impairment allowance in excess of Reserve for Bad and Doubtful Debts	112.62
कुल of adjustments	(144.41)
निबल profit after कर as per Ind AS	2,689.07
अन्य वृहद आय, निबल of कर	-
कुल वृहद आय (निबल of कर) as per Ind AS	2,689.07

E. Effect of Ind AS adoption on the Cash Flow Statement for the year ended 31 March 2018

(लाख रुपए में)

S. No.	विवरण	Previous GAAP	Adjustment due to merger	Effect of transition to Ind AS	Ind-AS
(i)	निबल cash generated / (used) from Operating Activities	162.17	(22.41)	25.86	165.61
(ii)	निबल cash generated / (used) from Investing Activities	7,516.76	(103.75)	1,126.54	8,539.55
(iii)	निबल cash generated / (used) from financing activities	(8,175.90)	-	-	(8,175.90)

(iv)	निबल Increase / Decrease in Cash and Cash Equivalents during the year	(496.97)	(126.16)	1,152.40	529.27
(v)	Add : Cash and Cash Equivalents at beginning of the वित्तीय year	2,458.98	126.73	774.60	3,360.31
(vi)	Cash and Cash Equivalents at the end of the period	1,962.01	0.57	1,927.00	3,889.58

Analysis of Cash and cash equivalents as at 31 March 2018 and 1 April 2017 for the purpose of statement of cash flow under Ind AS

विवरण	(लाख रुपए में)	
	31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार	01 अप्रैल 2017 की स्थिति के अनुसार
Cash and cash equivalents for the purpose of statement of cash flow as per previous GAAP	1,962.01	2,458.98
Cash and cash equivalents for the purpose of statement of cash flow as per Ind AS	3,889.58	3,360.31

PFC CONSULTING

लिमिटेड

(CIN:

U74140DL2008GOI175858)

(A Wholly Owned Subsidiary of

Power Finance Corporation लिमिटेड)

Notes to Consolidated Ind

AS वित्तीय statements

**38. Transactions in
foreign currency -**

(i) **Earnings**

Earnings in foreign currency-
Rs. Nil (Previous Year- Nil).

(ii) **Expenditure**

Expenditure in foreign
currency-Rs. Nil (Previous
Year- Nil).

**39. Corporate Social
Responsibility (CSR) व्यय**

a)	Details of gross राशि required to be spent by the Company	(लाख रुपए में)
----	---	-------------------

during the year

विवरण	For the year ended 31 March 2019	For the year ended 31 March 2018
राशि required to be spent on CSR activities as per Section 135 (5) of Companies Act, 2013	133.04	125.06
Carry forward from previous year	5.74	1.10
Gross राशि required to be spent	138.78	126.16
राशि spent during the year *	133.04	120.42
Unspent राशि	5.74	5.74

b) Details of राशि spent during the year

(लाख रुपए में)

विवरण	For the year ended 31 March 2019			For the year ended 31 March 2018		
	Paid or Settled	Yet to be paid	कुल	Paid or Settled	Yet to be paid	कुल
Construction / Acquisition of any asset	-	-	-	-	-	-
On Purposes अन्य than (i) above	-	-	-	-	-	-
Swachh Bharat Kosh	133.04	5.74	138.78	119.32	5.74	125.06
Environmental Sustainability (Solar Applications / Afforestation /Energy Efficient LED Lighting)	-	-	-	1.10	-	1.10
कुल (ii)	133.04	5.74	138.78	120.42	5.74	126.16
Grand कुल (i) and (ii)	133.04	5.74	138.78	120.42	5.74	126.16

40. Additional information as required by Paragraph 2 of the General Instructions for Preparation of Consolidated वित्तीय Statements to Schedule III to the Companies Act, 2013.

(लाख रुपए में)

Name of the entity	निबल परिसंपत्तियां i.e. कुल परिसंपत्तियां minus कुल देयताएं		Share in profit and loss	
	As % of	राशि	As % of	राशि

	consolita रीखd निबल परिसंपत्ति यां		consolितारी खd Profit and Loss	
Parent Company				
PFC Consulting लिमिटेड	100.008 %	9,174.59	100.023%	2,199.85
Indian Associates (Investment as per the इक्विटी method) :				
Tanda ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.000%	-	0.00%	0.00
Ballabgarh-GN ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	0.000%	-	0.00%	0.00
Mohindergarh-Bhiwani ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.000%	-	0.00%	0.00
South-Central East Delhi Power ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.000%	-	0.00%	0.00
Bijawar-Vidarbha ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.009%	0.81	0.00%	0.00
Shongtong Karcham-Wangtoo ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.000%	-	0.00%	0.00
Vapi II-Lakhimpur ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.010%	0.88	-0.005%	-0.12
Bikaner-Khetri ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.009%	0.87	-0.005%	-0.13
Bhuj-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.009%	0.87	-0.005%	-0.13
Fatehgarh-II ट्रांसको लिमिटेड	0.009%	0.87	-0.005%	-0.13
Less : Investment in associates	-0.055%	-5.00	0.000%	0.00
कुल	100.000 %	9,173.88	100.00%	2,199.34

**41. Incorporation of
Associate
Companies**

During the year, following
associates (ITP) have been
incorporated

(लाख रुपए
में)

Company Name	तारीख of Incorporation	Share in ownership	Investment in शेयर पूंजी
Vapi II-Lakhimpur ट्रांसमिशन लिमिटेड	25-Jun- 18	100%	1.00

Obra-C Badaun ट्रांसमिशन लिमिटेड	09-Aug-18	100%	1.00
Bikaner-Khetri ट्रांसमिशन लिमिटेड	22-Feb-19	100%	1.00
Bhuj-II ट्रांसमिशन लिमिटेड	25-Feb-19	100%	1.00
Fatehgarh-II ट्रांसको लिमिटेड	26-Feb-19	100%	1.00
Lakadia-Vadodara Transmission Project लिमिटेड	15-Mar-19	100%	1.00

42. Transfer/Disinvestment of Associate Companies

Name of the Company	तारीख of Incorporation	तारीख of transfer to successful bidders
Obra-C Badaun ट्रांसमिशन लिमिटेड	09-Aug-18	21-Dec-18

43. Events occurring after the reporting तारीख

There are no subsequent events which require any adjustment in वित्तीय statements.

For and on behalf of
Board of निदेशकs

(मनीष कुमार अग्रवाल)

(एन. बी. गुप्ता)

कंपनी सचिव

निदेशक

सदस्यता संख्या. F5048

(DIN 00530741)

(योगेश जुनेजा)

(राजीव शर्मा)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

अध्यक्ष

(DIN 00973413)

**For Khanna &
Annadhanam
Chartered
Accountants
(फर्म पंजीकरण
संख्या:001297N)**

(संजीव श्रीवास्तव)

Partner

सदस्यता संख्या.

502238

Place: - New Delhi

तारीख: -

	why the associate is not consolidatari खद										
5.	निबलworth h attributabl e to Shareholdi ng as per latest audited Balance Sheet	0.81	0.88	0.87	0.87	0.87	-	-	-	0.01	0.81
6.	Profit / Loss for the year										
	Considere d in Consolida tion	-	0.12	0.13	0.13	0.13	-	-	-	-	-
	Not Considere d in Consolida tion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Note:

- All the ITPs are under pre-operative Stage and yet to commence operations.
Obra-C Badaun ट्रांसमिशन लिमिटेड has been sold/transferred
- during the year.
- The associates were incorporated after 1st Jan, 2019 and as per Sec 2(41) of the Companies Act, 2013, where the Company has been incorporated on or after the 1st day of January of a year, the period ending on the 31st day of March of the following year shall be its first वित्तीय year. Therefore, the Balance Sheet of these Companies have not been audited.

See accompanying notes from s.no. 1 to 43 to the Consolidatari खद वित्तीय statements				
For and on behalf of Board of निदेशकs				
(मनीष कुमार अग्रवाल)	(योगेश जुनेजा)	(एन. बी. गुप्ता)	(राजीव शर्मा)	
कंपनी सचिव	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	निदेशक	अध्यक्ष	
सदस्यता संख्या. F5048		(DIN 00530741)	(DIN	
00973413)				
As per our report of even तारीख attached				

For Khanna & Annadhanam				
Chartered Accountants				
(फर्म पंजीकरण संख्या:001297N)				
(संजीव श्रीवास्तव)				
भागीदार				
सदस्यता संख्या. 502238				
स्थान : नई दिल्ली				
तारीख: -				